रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092025-266550 CG-DL-E-30092025-266550

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

No. 268]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय) अधिसूचना

<u>अंतिम जांच परिणाम</u> मामला सं.-एडी (ओ.आई)-28/2024

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

विषय: <u>चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1,1,1,2- टेट्राफ्लोरोइथेन या आर-134ए" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।</u>

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

फा.सं. 6/30/2024-डीजीटीआर- समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

6481GI/2025 (1)

- क. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) को घरेलू उद्योग की ओर से एसआरएफ लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) द्वारा दायर एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन.गण.(जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से "1,1,1,2- टेट्राफ्लोरोइथेन या आर-134ए" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबद्ध सामान" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने की मांग की गई थी।
- ख. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 27 सितंबर, 2024 की अधिसूचना सं. 6/30/2024-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

- 1. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - i. नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पहले, प्राधिकारी ने भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकारों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।
 - ii. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदन-पत्र की जांच करने पर, प्राधिकारी को प्रथम दृष्टया पाटन और परिणामी क्षति के साक्ष्य मिले। इसलिए, नियम 5 और 6 के अनुसार, अधिसूचना फा. संख्या 06/30/2024 डीजीटीआर दिनांक 27 सितंबर 2024 ('जांच शुरुआत अधिसूचना') के तहत, प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही शुरू की।
 - iii. जैसा कि जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, जांच की अवधि ('पीओआई') 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक मानी गई थी। क्षति की अवधि वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि को कवर करने के लिए निर्धारित की गई थी।
 - iv. क्षति अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों के लिए डीजी सिस्टम से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और उन्होंने लेन-देनों की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया है।
 - v. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ जांच आरंभ करने की अधिसूचना की एक प्रति साझा करके हितबद्ध पक्षकार कारों को जांच आरंभ करने की सूचना दी।
 - vi. नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध आयातों के ज्ञात निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने आवेदन-पत्र की एक प्रति के लिए लिखित रूप से अनुरोध किया था, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति प्रदान की।
 - vii नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने जांच के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी।

क्र.सं.	संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1	ऐस प्रॉस्पर कारपोरेशन
2	बीजिंग स्ट्रैटेजिक केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
3	डाइकिन आर्केमा रेफ्रिजरेंट्स एशिया लिमिटेड
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड
5	डोंगयांग वेहुआ रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड
6	जियांग्शी ली एंड मैन केमिकल लिमिटेड
7	लियाओचेंग रुइजिन (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
8	लू शी केमिकल (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
9	लू शी ग्रुप (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
10	निनहुआ ग्रुप कंपनी लिमिटेड
11	एससी निंग्बो इंटरनेशनल लिमिटेड
12	शांडोंग हुआन न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
13	सिनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल (ताइकांग) कंपनी लिमिटेड
14	सिनोकेम लैंटियन फ्लोरो मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
15	द केमर्स 3एफ फ्लोरोकेमिकल एस (चांगशु) कंपनी लिमिटेड
16	द केमर्स केमिकल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
17	झेजियांग फोटेक इंटरनेशनल कंपनी
18	झेजियांग ओरिएंट मल्टीटेक्स आई/ई कंपनी लिमिटेड
19	झेजियांग क्वहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड
20	झेजियांग क्यूझोउ लियानझोउ रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड
21	झेजियांग क्यूझोउ लियानझोउ रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड
22	झेजियांग सैनमेई केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड
23	झेजियांग योंगहे रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड
24	ज़िबो फेइयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड

- viii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से प्रश्नाविलयां भेजी। संबद्ध देशों की सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने देशों में संबद्ध सामानों के उत्पादकों को जांच की शुरुआत अधिसूचना और प्रश्नाविलयां भेजें तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नाविलयां का उत्तर देने की सलाह दें।
- ix. उपर्युक्त के प्रत्युत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया है और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए है:

क्र.स <u>ं</u>	संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1	हांगकांग ईगल मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

2	जियांग्सू सैनमेई केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड
3	रुयुआन डोंगयांगगुआंग फ्लोरीन कंपनी लिमिटेड
4	शानक्सी सिनोकेम लांटियन न्यू केमिकल मटेरियल कंपनी लिमिटेड
5	शांदोंग डोंगयू रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड
6	सिनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (टीएआईसीएएनजी) कंपनी लिमिटेड
7	सिनोटेक केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
8	द केमर्स केमिकल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
9	झेजियांग सैनमेई केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड

x. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावली भेजकर आवश्यक सूचना मांगी:

क्र.सं.	भारत में प्रयोक्ताओं/आयातकों के नाम
1	अजय एयर प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
2	बोर्गवार्नर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3	कूलमेट रेफ्रिजरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	गोरखराम हरिबक्स
5	गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड
6	गुप्ता ऑक्सीजन लिमिटेड
7	हेलियस स्पेशलिटी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड
8	हिताची एस्टेमो ब्रेक सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	किरो रेफ्रिजरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
10	केपीएल इंटरनेशनल लिमिटेड
11	मंगली पेट्रोकेम लिमिटेड
12	मिहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
13	एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
14	नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड
15	रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
16	सिकेलन केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
17	स्टैलियन एंटरप्राइजेज
18	स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
19	द केमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
20	वैल्यू रेफ्रिजरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
21	विजय पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड

xi. उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने वर्तमान जांच में पंजीकरण कराया है और अनुरोध किए हैं:

क्र.सं.	भारत में प्रयोक्ताओं/आयातकों के नाम
1	गुप्ता ऑक्सीजन लिमिटेड
2	विजय पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड

- xii. प्राधिकारी ने जनिहत और व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति प्रत्येक संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को भेजी गई। ईआईक्यू को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया। घरेलू उद्योग, गुप्ता ऑक्सीजन लिमिटेड, विजय पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट इम्पोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा आर्थिक हित प्रश्नावली दायर की गई।
- xiii. डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट इम्पोर्टर्स एसोसिएशन (डीआरआईए) द्वारा भी अनुरोध किए गए हैं, और वर्तमान प्रकटन विवरण में इन पर विचार किया गया है। डीआरआईए ने अपने अगोपनीय अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ परिचालित किए हैं।
- xiv. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करें।
- xv. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने और यदि आवश्यक हो, तो पीसीएन प्रस्तावित करने का अवसर, जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर अवर प्रदान किया गया था। तत्पश्चात, टिप्पणियाँ देने की प्रारंभिक समय-सीमा 19 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई थी। घरेलू उद्योग के अलावा, किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र या पीसीएन के प्रस्ताव के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी ने 12 नवंबर 2024 को पीसीएन को स्पष्ट और अधिसूचित किया।
- xvi. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 8 जुलाई 2025 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध देने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध करने का निर्देश दिया गया था।
- xvii. नियम 6(8) के अनुसार, जहाँ कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुँच से इनकार किया है या समय पर उपलब्ध नहीं कराई है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- xviii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहाँ तक संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना

प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का अगोपनीय सारांश प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

- xix. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- xx. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षित रहित कीमत (एनआईपी) की गणना इस प्रकार की है कि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षित की भरपाई के लिए पर्याप्त होंगे। एनआईपी की गणना घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए, भारत में घरेलू समान वस्तु इष्टम उत्पादन लागत और उत्पादन एवं बिक्री की लागत के आधार पर की गई है।
- xxi. प्राधिकारी ने कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदान की गई सूचना और प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की, उस सीमा तक जांच की, जहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित थे और वर्तमान प्रयोजन में अंतिम जांच परिणाम निकालने के लिए संगत माने गए थे।
- xxii. जांच के आवश्यक तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण, जो अंतिम जांच परिणामों का आधार बना, हितबद्ध पक्षकारों को 19 सितंबर 2025 को जारी किया गया और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए समय दिया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर, जहां तक वे संगत पाई गई थी, पुनरावृत्ति की नहीं थी और इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में साक्ष्य से समर्थित थी, विचार किया गया है।
- xxiii. *** किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई और नियमालवी के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xxiv. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अम.डा. = 83.69 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

- 2. जांच की शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:
 - "3. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद 1,1,1,2-टेट्राफ्लुओरोएथेन या सभी प्रकार के आर-134ए हैं, चाहे वह पैक किया हुआ हो या अनपैक्ड। सीजीएमपी अनुमोदित फार्मा ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
 - 4. आर-134ए को टेट्राफ्लुओरोएथेन, जेनेट्रॉन 134ए, सुवा 134ए या एचएफसी-134ए, एचएफए-134ए और नॉरफ्लुरेन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हैलोएल्केन रेफ्रिजरेंट है जिसके ऊष्मागतिक गुण आर-12 (डाइक्लोरोडिक्लोरोमेथेन) के समान हैं, लेकिन इसमें ओज़ोन अवक्षय क्षमता नहीं है। इसका सूत्र सीएच2एफसीएफ3 है और इसका बॉयलिंग प्वाइंट -26.3° सेल्शियस (-15.34 °एफ) है।
 - 5. यह उत्पाद मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर के लिए उच्च तापमान रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्लास्टिक फोम ब्लोइंग में, सफाई विलायक के रूप में और

फार्मास्यूटिकल्स की डिलीवरी के लिए प्रणोदक के रूप में, गैस डस्टर और एयर ड्रायर में संपीड़ित हवा से नमी हटाने के लिए भी किया जाता है।

7. विचाराधीन उत्पाद उप-शीर्ष 29034500 के तक सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। 2021-22 से पहले, विचाराधीन उत्पाद 29033919 के अंतर्गत वर्गीकरणीय था। उत्पाद का आयात 29033990 के अंतर्गत भी किया गया था। उत्पाद के लिए सीमा शुल्क वर्गीकरण में बदलाव आया है और अब यह एचएस कोड 29034500 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और प्रमुख रूप से आयातित है। उत्पाद का आयात एचएस कोड 29034300 के अंतर्गत भी कम मात्रा में किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 3. हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. गैर-सीजीएमपी फार्मा ग्रेड और गैर-फार्मा (औद्योगिक) ग्रेड आर-134ए तकनीकी विशिष्टताओं, अंतिम-उपयोग अनुप्रयोगों और कीमत निर्धारण में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं।
 - ii. गैर-सीजीएमपी फार्मा ग्रेड अधिक शुद्ध, अधिक महंगा है और इनहेलर जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा उत्पादों में उपयोग किया जाता है, जबिक औद्योगिक ग्रेड का उपयोग प्रशीतन और वातानुकूलन में किया जाता है।
 - iii. गैर-सीजीएमपी फार्मा ग्रेड और गैर-फार्मा (औद्योगिक) ग्रेड के लिए अलग-अलग पीसीएन तैयार करने की आवश्यकता है।
 - iv. फार्मा ग्रेड और गैर-फार्मा ग्रेड आर-134ए विशेषताओं, उपयोगों, लागत और बिक्री कीमतों में भिन्न हैं। फार्मा ग्रेड गैर-फार्मा कीमत से लगभग दोगुनी कीमत पर बिकता है; इसलिए उन्हें एक ही पीसीएन के अंतर्गत नहीं माना जा सकता है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 4. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. विचाराधीन उत्पाद आर-134ए है। उत्पाद के क्षेत्र में सीजीएमपी-अनुमोदित फार्मा ग्रेड को छोड़कर, आर134ए के सभी प्रकार शामिल हैं।
 - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और चीन से आयातित उत्पाद सभी तकनीकी और वाणिज्यिक पहलुओं
 में तुलनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार, वे पाटनरोधी नियमावली के तहत समान वस्तु के रूप में योग्य हैं।
 - iii. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर टिप्पणी दायर नहीं की।
 - iv. सिनोकेम और शानक्सी सिनोकेम ने मौखिक सुनवाई के चरण में पहली बार फार्मा और गैर-फार्मा ग्रेड के लिए अलग-अलग पीसीएन का अनुरोध किया है। हालाँकि, कोई पूर्व अनुरोध नहीं किया गया था।
 - v. अगोपनीय अनुरोध साझा करने वाले कानूनी प्रतिनिधियों के ईमेल में पीयूसी-पीसीएन पर कोई टिप्पणी नहीं है। मौखिक सुनवाई के दौरान विलंबित अनुरोधों पर आपत्ति जताए जाने के बावजूद, हितबद्ध पक्षकार ने समय पर दायर करने का दावा नहीं किया।

- vi. गैर-सीजीएमपी फार्मा ग्रेड और औद्योगिक ग्रेड आर-134ए के बीच केवल कीमत अंतर ही अलग-अलग पीसीएन को उचित नहीं ठहराता, क्योंकि दोनों ग्रेड की उत्पादन लागत समान है, केवल मामूली शुद्धिकरण अंतर 5% की सीमा से काफी कम है।
- vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने लागत अंतर का आकलन नहीं किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा भी नहीं किया है कि उन्होंने फार्मा ग्रेड आर-134ए का निर्यात किया है।
- viii. चूँकि दोनों ग्रेड के बीच एकमात्र अंतर शुद्धिकरण की मात्रा (मुख्यतः सुखाने) में है, इसलिए लागत अंतर न्यूनतम है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 5. विचाराधीन उत्पाद को जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निम्नानुसार परिभाषित किया गया था।
 3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद में सभी प्रकार के 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोइथेन या आर-134ए
 शामिल हैं, चाहे वे पैक किए गए हों या अनपैक किए गए। हालाँकि, सीजीएमपी अनुमोदित
 फार्मास्युटिकल ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
- 6. जांच की शुरुआत की अधिसूचना में सभी हितबद्ध पक्षकारों को उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धित पर अपनी टिप्पणियाँ जांच की शुरुआत की अधिसूचना से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे पक्षकारों के अनुरोध पर बढ़ा दिया गया था।
- 7. 12 नवंबर 2024 की सूचना के माध्यम से, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना के अनुसार पीसीएन और पीयूसी के साथ जाँच आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।
- 8. वर्तमान अध्ययन में विचाराधीन उत्पाद आर-134ए है, जिसे टेट्राफ्लोरोएथेन, जेनेट्रॉन 134ए, सुवा 134ए, एचएफसी-134ए, एचएफए-134ए और नॉरफ्लुरेन के नाम से भी जाना जाता है। आर134ए एक हैलोएल्केन रेफ्रिजरेंट है जिसके ऊष्मागतिक गुण आर-12 (डाइक्लोरोडिटल्यूरोमीथेन) के समान हैं, लेकिन इसमें ओज़ोन क्षरण क्षमता नहीं है। इसका सूत्र सीएच2 एफसीएफ3 है और इसका बॉयलिंग प्वाइंट -26.3 °सेल्शियस (-15.34 °एफ) है।
- 9. यह उत्पाद मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर के लिए उच्च तापमान रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्लास्टिक फोम ब्लोइंग, सफाई विलायक के रूप में, दवाइयों, गैस डस्टर और एयर ड्रायर में प्रणोदक के रूप में, संपीड़ित हवा से नमी हटाने के लिए भी किया जाता है।
- 10. यह उत्पाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की व्यापक श्रेणी से संबंधित है और किगाली संशोधन द्वारा शासित है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रकृति में शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं, और वे वायुमंडल में गर्मी को फंसाकर जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन एक वैश्विक करार है जिसका उद्देश्य एचएफसी-134 ए (आर134 ए) सहित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। किगाली संशोधन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) को चरणबद्ध तरीके

से कम करने का आदेश देता है। संशोधन का उद्देश्य एचएफसी की खपत को कम करके वैश्विक तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि को रोकना है। करार के तहत, पक्षकारों (देशों) को विशिष्ट समय सीमा के भीतर एचएफसी गैस की खपत को धीरे-धीरे कम करना आवश्यक है।

- 11. चरणबद्ध कटौती कार्यक्रम को देश की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग आधार वर्षों वाले दो समूहों में विभाजित किया गया है।
 - क. चीन जैसे विकसित देशों के लिए, चरणबद्ध कटौती कार्यक्रम 2020-2022 की आधार अवधि पर आधारित है, जिसमें 2029 से कटौती शुरू होगी।
 - ख. भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, चरणबद्ध कटौती कार्यक्रम 2024-2026 की आधार अवधि पर आधारित है, जिसमें 2032 से कटौती शुरू होगी।
- 12. विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में, पहले ट्राइक्लोरोइथिलीन को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके 1,1,1-ट्राइफ्लोरो-2-क्लोरोइथेन (जिसे आर133ए भी कहा जाता है) बनाया जाता है। फिर, आर133ए को अधिक हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके आर134ए बनाया जाता है। आर134ए को भंडारण से पहले, अक्सर आसवन स्तंभों और जिओलाइट अधिशोषण का उपयोग करके शुद्ध किया जाता है।
- 13. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर टिप्पणी दायर नहीं की है। इसलिए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र निम्नलिखित रूप में निकालते हैं:

सभी प्रकार के 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोएथेन या आर-134ए, चाहे पैक किए गए हों या अनपैक किए गए। हालाँकि, सीजीएमपी अनुमोदित फार्मास्युटिकल ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

- 14. विचाराधीन उत्पाद उप-शीर्ष 2903 45 00 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। 2021-22 से पहले, उत्पाद शीर्ष 2903 39 19 के अंतर्गत वर्गीकृत था और शीर्ष 2903 39 90 के अंतर्गत आयात भी किया जाता था। उत्पाद के लिए सीमा शुल्क वर्गीकरण बाद में बदलकर 2903 45 00 कर दिया गया है।
- 15. भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 59/2015-2020 दिनांक 9 मार्च 2022 के तहत एचएस कोड 2903 45 00 के अंतर्गत आयात को प्रतिबंधित आयात घोषित किया है। उत्पाद के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यद्यपि उत्पाद का आयात विनियमित है, कोई भी प्रयोक्ता लाइसेंस के माध्यम से उत्पाद का आयात कर सकता है।
- 16. प्राधिकारी द्वारा प्राप्त डीजी सिस्टम के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर, यह देखा गया है कि उत्पाद का आयात वर्गीकरण 2903 45 00 के अंतर्गत किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जाँच के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
- i. समान वस्त्

- 17. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, और उपभोक्ता इनका परस्पर उपयोग कर सकते हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि विचाराधीन उत्पाद आयातित उत्पाद के समान वस्तु है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।
- ii. पीसीएन पद्धति
- 18. जांच शुरुआत की अधिसूचना और विचाराधीन उत्पाद-पीसीएन स्पष्टीकरण सूचना में अपनाई गई पीसीएन पद्धति इस प्रकार है: -

विचाराधीन उत्पाद	पीसीएन	कोड
I, I, 1,2- टेट्टाफ्लोरोइथेन या आर- I 34ए	पैक किया हुआ	पी
	अनपैक किया हुआ	यू

19. लिखित अनुरोधों में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तकनीकी गुणों, अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों और बिक्री कीमतों में अंतर का हवाला देते हुए गैर-फार्मा (अर्थात, औद्योगिक ग्रेड) और गैर-सीजीएमपी फार्मा ग्रेड के लिए अलग-अलग पीसीएन बनाने का अनुरोध किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों ग्रेडों के बीच प्राथमिक अंतर शुद्धिकरण की डिग्री तक ही सीमित है। हितबद्ध पक्षकारों ने दोनों ग्रेडों की लागत में अंतर के बारे में सूचना नहीं दी है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि दोनों ग्रेडों के बीच लागत का अंतर न्यूनतम है और अलग-अलग पीसीएन बनाने के लिए निर्धारित 5% की सीमा को पूरा नहीं करता है। सिनोकैम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (टीएआईसीएएनजी) कंपनी लिमिटेड और शानक्सी सिनोकैम लांटियन न्यू केमिकल मैटेरियल कंपनी लिमिटेड ने जांच की अविध के दौरान केवल 13 एमटी गैर-सीजीएमपी फार्मा ग्रेड की सूचना दी है, जो नगण्य है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद-पीसीएन नोटिस में अधिसूचित किए गए अनुसार उसकी पीसीएन पद्धित पर विचार किया है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

- घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
- 20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 21. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - वर्तमान आवेदन-पत्र एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।

ii. घरेलू उद्योग ने न तो संबद्ध देश से उत्पाद का आयात किया है और न ही संबद्ध देश के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में आयातक से संबद्ध है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

'(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

- 23. यह आवेदन-पत्र एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में किसी आयातक या संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध नहीं है और उसने जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- 24. आवेदक भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। घरेलू उद्योग कुल भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा है। समान वस्तु के भारतीय उत्पादन में घरेलू उद्योग का प्रमुख अनुपात है।
- 25. प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और उनका मानना है कि आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पुरा करता है।

ङ. गोपनीयता और विविध अनुरोध

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 26. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।
 - i. आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में निर्यात कीमत समायोजन के साक्ष्य, पीसीएन-वार निर्यात कीमत और लागत संबंधी आंकड़े, बाजार हिस्सेदारी के रुझान, कम कीमत पर बिक्री और क्षति मार्जिन जैसे क्षति मापदंडों जैसे आवश्यक विवरणों का अभाव है। लाभ/हानि और आरओसीई जैसे प्रमुख आंकड़े भी बिना किसी वैध आधार के गोपनीय रखे गए हैं।
 - ii. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि अत्यधिक गोपनीयता व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का उल्लंघन करती है क्योंकि इसमें विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण, कच्चे माल के नाम, आवेदन-पत्र में सामान्य मूल्य, बिक्री कीमत कैप्टिव खपत, निर्यात और कैप्टिव खपत के लिए प्रति इकाई बिक्री प्राप्ति, निर्यात के लिए प्रति इकाई बिक्री लागत और क्षतिरहित कीमत गणना का प्रकटन नहीं किया गया है।
 - iii. घरेलू उद्योग ने अपनी बाजार आसूचना रिपोर्ट के आधार पर आयात आंकड़ों का उपयोग किया है, जो प्रतिनिधिकारक या विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

- iv. जिन आयात आंकड़ों पर घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किया गया है वे आयात आंकड़े एक निजी बाज़ार आसूचना रिपोर्ट से लिए गए हैं, न कि आधिकारिक डीजीसीआईएंडएस डेटाबेस से, जिससे यह अविश्वसनीय और अप्रामाणिक हो जाता है। प्राधिकारी को पाटन और क्षति का आकलन करने के लिए पूरी तरह से डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर ही विश्वास करना चाहिए।
- v. संपूर्ण आयात आंकड़ों का प्रकटन नहीं किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों और प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार नोटिस संख्या 2013 की व्यापार सूचना संख्या 1 और 2004 की संख्या 2 के विपरीत है, जिसके तहत घरेलू उद्योग को सभी हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे आंकड़े प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- vi. घरेलू उद्योग व्यापार उपचार का आदतन प्रयोक्ता प्रतीत होता है। घरेलू उद्योग अपने लाभ के लिए पाटनरोधी उपायों का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं: -

- i. घरेलू उद्योग ने एनसीवी आवेदन-पत्र में पीसीएन-वार निर्यात कीमत और चीन से भारत तक समुद्री माल ढुलाई के साक्ष्य प्रदान किए हैं।
- ii. समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल ढुलाई, सार-संभाल प्रभार और कमीशन जैसे लागत घटक मालिकाना हैं और इसलिए अनुमानों के आधार पर समायोजित किए जाते हैं।
- iii. एनआईपी के आधार पर लागत संबंधी आंकड़े और क्षति मार्जिन गोपनीय हैं और उनका प्रकटन नहीं किया जा सकता। लाभ और आरओसीई सहित क्षति मापदंडों के रुझान व्यापार नोटिस के अनुसार प्रकट किए गए हैं।
- iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में किए गए दावे विलंबित हैं और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित 7-दिवसीय समय-सीमा के भीतर कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की गई थी।
- v. उत्तरदाताओं द्वारा उद्धृत अधिकांश कारक निर्धारित क्षति विवरण से बाहर हैं और जांच में उन पर विचार नहीं किया गया है। सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत एनसीवी आवेदन-पत्र में पहले ही प्रकट किए जा चुके थे।
- vi. आयात आंकड़ों के प्रकटन के संबंध में अनुरोध के बारे में, घरेलू उद्योग ने बाजार आसूचना पर भरोसा किया जो कि भुगतान किया गया आंकड़ा है। ऐसा आंकड़ा स्वामित्व वाला है और इसका प्रकटन नहीं किया जा सकता।
- vii. उत्तरदाता द्वारा उद्धृत व्यापार नोटिस संख्या 1/2013 और संख्या 2/2004 में संपूर्ण आयात आंकड़ों के प्रकटन की आवश्यकता नहीं है। व्यापार नोटिस 07/2018 हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी से सीधे डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़े प्राप्त करने की अनुमित देता है। घरेलू उद्योग छांटे गए और न छांटे गए, दोनों आंकड़े प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।
- viii. घरेलू रेफ्रिजरेंट आयातक एसोसिएशन (डीआरआईए) पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग)(i) के तहत एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहा है, क्योंकि इसने यह प्रमाणित नहीं किया है कि इसके अधिकांश सदस्य संबद्ध सामानों के वास्तविक आयातक हैं।

- ix. डीआरआईए ने अपनी भूमिका को उचित ठहराने के लिए आवश्यक पंजीकरण दस्तावेज, सदस्य सूची, प्राधिकारी या आंतरिक संकल्प प्रस्तुत करने जैसी प्रमुख आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं किया है। गैर-अनुपालन इसकी विश्वसनीयता को कमजोर करता है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- x. न तो सीमा शुल्क अधिनियम, न ही पाटनरोधी नियमावली, और न ही विश्व व्यापार संगठन करार, किसी घरेलू उद्योग द्वारा अनुचित आयातों के विरुद्ध राहत मांगने की संख्या को सीमित करता है।
- xi. पिछली जाँचों में, प्राधिकारी ने लगातार पाया कि चीनी उत्पादक पाटन में लिप्त थे और क्षति की पुष्टि होने के बाद ही शुल्क लगाया था।
- xii. घरेलू उद्योग विभिन्न व्यवसायों में 80-90 उत्पादों का निर्माण करता है, जिनमें अकेले फ्लोरोकेमिकल्स में लगभग 20 उत्पाद शामिल हैं, फिर भी उसने अन्य उत्पादों के लिए कोई राहत नहीं मांगी है।
- xiii. घरेलू उद्योग लगातार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में एक प्रतिस्पर्धी और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात सहित मजबूत निर्यात लाभप्रदता है।
- xiv. अन्य देशों द्वारा चीनी एचएफसी उत्पादकों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का वर्तमान जाँच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- xv. जाँच के बाद की अवधि में कम कीमत वाले आयातों का दावा असंगत है, क्योंकि इस जाँच में ऐसे आयातों पर विचार नहीं किया गया है।
- xvi. डीआरएआई को आवश्यक संबद्धता दस्तावेजों के साथ आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर समय पर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए, पक्षकार जांच के लिए हितबद्ध पक्षकार की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
- xvii. घरेलू उद्योग ने हितबद्ध पक्षकार के इस दावे पर ध्यान नहीं दिया है कि क्षति पाटन के मामले के बजाय अप्रत्याशित घटनाक्रम, किगाली संशोधन से उत्पन्न सुरक्षा स्थिति की प्रकृति की है।
- xviii. घरेलू उद्योग ने न तो लेन-देन-वार आयात आंकड़ों का प्रकटन किया है और न ही अपने दावों को पुष्ट करने के लिए आंकड़ों के साथ कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण दिया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. प्राधिकारी ने नियम 6(7) और व्यापार नोटिस 01/2020 के साथ पठित व्यापार नोटिस 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018 के साथ पठित (प्राधिकारी द्वारा अगली सूचना तक बढाए गए अनुसार) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार कार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार कार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार कार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार कारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी

पक्षकार कार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार कार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है। (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

- 29. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की, जहाँ तक संगत समझा गया, प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई और तदनुसार उनका समाधान किया गया। इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 10/2018 के अंतर्गत अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की भी जाँच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने कुछ सूचनाओं को गोपनीय बताया है, तथापि उसने अपने 8 अगस्त 2025 के पत्र के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आरोपित सभी आवश्यक सूचनाओं का प्रकटन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यवसाय के प्रति संवेदनशील मानी जाने वाली अन्य सूचनाओं के लिए उचित औचित्य प्रस्तुत किया गया है।
- 30. संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ तक संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचनाओं को गोपनीय होने का दावा किया है।
- 31. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने अविश्वसनीय आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम के लेनदेन-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- 32. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार उपायों का अभ्यस्त प्रयोक्ता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि धारा 9(क)(5) के अनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों की अनुचित व्यापार परिपाटियों से निवारण प्राप्त करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है या इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क कितनी बार लगाया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी का प्राथमिक अधिदेश यह आकलन करने के लिए है कि क्या पाटित आयातों और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षित के आलोक में उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है। पाटनरोधी शुल्क पाटन और क्षित का सामना करने के लिए आवश्यक अविध तक लगाया जा सकता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिशें प्राधिकारी द्वारा जांच के बाद और अपेक्षित कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ही की जाती हैं।
- च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण
- च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
- 33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. प्राधिकारी को चीन को बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करना होगा क्योंकि पैरा 15(घ) के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में चीन के अभिगम की 15 वर्ष की अवधि 2016 में समाप्त हो गई है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य की गणना चीनी उत्पादकों की वास्तविक कीमतों और लागत के आधार पर की जानी चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 34. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. चीनी उत्पादकों को गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माने जाने के लिए यह दर्शाना चाहिए कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन करते हैं। किसी भी चीनी उत्पादक और निर्यातक ने बाज़ार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अनुरोध नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए
 - ii. चीन को उसके विश्व व्यापार संगठन अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 के तहत एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना है। प्राधिकारी की यह सतत् परिपाटी है कि वह पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करें।
 - iii. ऐतिहासिक आयात आँकड़े और आक्रामक कीमत निर्धारण प्रवृत्तियाँ दर्शाती हैं कि पाटन का यह पैटर्न लगातार बना हुआ है और घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहा है, जिसके लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 35. निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर किया गया है:
 - i. शानक्सी सिनोकेम लांटियन न्यू केमिकल मैटेरियल कंपनी लिमिटेड, सिनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (टीएआईसीएएनजी) कंपनी लिमिटेड और द केमर्स केमिकल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
 - ii. शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड
 - iii. ज़िबो फेइयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - iv. झेजियांग सानमेई केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड और जियांग्सू सानमेई केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड
 - v. रुयुआन डोंगयांगगुआंग फ्लोरीन कंपनी लिमिटेड, हांगकांग ईगल मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, और सिनोटक केमिकल्स कंपनी लिमिटेड।

च.3.1 चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

- 36. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखत प्रावधान है:

 "जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-
 - (क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन

- की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है ,यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धित का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धितयों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क)समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (॥) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
- 37. घरेलू उद्योग ने चीन के अभिगत नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) तथा अनुबंध-I के पैरा 7 पर विश्वास किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण.के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि यदि उत्तरदाता चीनी

उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार-आधारित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

- 38. यह नोट किया जाता है कि धारा 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार की धारा 15 (क) (i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान मेंबाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचख्ना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने हेतु, नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं, को बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना आवश्यक है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण.के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य गणना नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी आवश्यक है।
- 39. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने अपने आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, अत: सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो निम्नलिखित रूप में पठित है:

"7. गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य, अथवा भारत या जहां यह संभव नहीं है, वहां सिहत तीसरे देश से अन्य देशों से कीमत अथवा अन्य किसी उपयुक्त आधार, जिसमें आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत शामिल है, उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश संबंधित देश के विकास और प्रश्नगत उत्पाद के मद्देनजर उपयुक्त तरीके में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चुना जाएगा और चयन के समय उपलबध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर उचित ध्यान दिया जाएगा। किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच की समय सीमाओं, जहा लागू हो, के भीतर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षकार कारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन से किसी अपर्याप्त विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और उनकी टिप्पणियां देने के लिए उपयुक्त समयाविध दी जाएगी।"

- 40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद के घरेलू मूल्य, निर्मित मूल्य या निर्यात कीमत के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सूचना और साक्ष्य के आधार पर उपयुक्त देश का चयन करना आवश्यक है। चूँकि न तो घरेलू उद्योग और न ही हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सत्यापन योग्य सूचना प्रदान की है, इसलिए इस आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका।
- 41. प्राधिकारी ने समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर चीन चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत, बिक्री,

सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय, और उचित लाभ को जोड़ने के बाद, को ध्यान में रखते हुए किया गया है। माने गए पीसीएन के मद्देनजर, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

च.3.2 चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत

i. <u>शांक्सी सिनोकेम लांटियन न्यू केमिकल मैटेरियल कंपनी लिमिटेड</u>

- 42. शांक्सी सिनोकेम लांटियन न्यू केमिकल मैटेरियल कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है और उसने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। उत्पादक ने जाँच की अविध के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** अमेरिकी डॉलर मूल्य के ***एमटी की सूचना दी है।
- 43. उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया। आवश्यक मानी गई सीमा तक अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई थी। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।
- ii. सिनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (टीएआईसीएएनजी) कंपनी लिमिटेड
- 44. सिनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (टीएआईसीएएनजी) कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है और उसने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। उत्पादक ने जाँच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** अमेरिकी डॉलर मूल्य के ***एमटी की सूचना दी है।
- 45. उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया। आवश्यक समझी गई सीमता तक अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।
- iii. <u>शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड</u>
- 46. शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है और उसने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। उत्पादक ने जाँच की अविध के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** अमेरिकी डॉलर मूल्य के ***एमटी की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने उत्पाद का निर्यात सीधे भारत को किया है।
- 47. उत्पादक ने निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया। आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।
- iv. झेजियांग सानमेई केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड
- 48. झेजियांग सानमेई केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है और उसने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। उत्पादक ने जाँच की अविध के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** अमेरिकी डॉलर मूल्य के ***एमटी की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने उत्पाद का सीधे और साथ ही जियांग्सू सैनमेई केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया है।

49. उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया। आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

v. <u>रुयुआन डोंगयांगगुआंग फ्लोरीन कंपनी लिमिटेड</u>

- 50. रुयुआन डोंगयांगगुआंग फ्लोरीन कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है और उसने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। उत्पादक ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** अमेरिकी डॉलर मूल्य के ***एमटी की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने हांगकांग ईगल मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और सिनोटक केमिकल्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से उत्पाद का निर्यात किया है।
- 51. उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया। आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

vi. ज़िबो फ़ेयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड

- 52. ज़िबो फ़ेयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है और उसने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। उत्पादक ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** अमेरिकी डॉलर मूल्य के ***एमटी की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने उत्पाद का सीधे भारत को निर्यात किया है।
- 53. उत्पादक ने निर्यात की में विभिन्न समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया। आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।
- vii. चीन जन.गण. के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत
- 54. चीन के अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

च.3.3 चीन जन.गण. के लिए पाटन मार्जिन

55. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:

क्र.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(यूएसडॉ./ एमटी)	(यूएसडॉ./ एमटी)	(यूएसडॉ./ एमटी)	(%)	(रेंज)
1	शानक्सी सिनोकेम लांटियन न्यू केमिकल मटेरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
2	सिनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (टीएआईसीएएनजी) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
3	शांदोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कंपनी	***	***	***	***	20-30%

	लिमिटेड					
4	झेजियांग सानमेई केमिकल	***	***	***	***	
	इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड और					20-30
	जियांग्सू सानमेई केमिकल					20 00
	इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड					
5	रुयुआन डोंगयांगगुआंग फ्लोरीन	***	***	***	***	30-40
	कंपनी लिमिटेड					00 40
6	ज़िबो फेइयुआन केमिकल कंपनी	***	***	***	***	20-30
	लिमिटेड					20-30
7	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	55-65%

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 56. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- आयातों में वृद्धि के बावजूद, घरेलू बिक्री कीमत में 15% तक वृद्धि हुई है। कोई कीमत न्यूनीकरण या ह्रास नहीं है
 क्योंकि घरेलू बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है।
- ii. निर्यात बिक्री में 11% की गिरावट आई, जिससे पता चलता है कि कोई भी वित्तीय दबाव आयात प्रतिस्पर्धा के बजाय निर्यात अवसरों में कमी के कारण था।
- iii. घरेलू उद्योग को हानियां मुख्य रूप से मजदूरी में 47% की वृद्धि, ब्याज लागत में 98% की वृद्धि और क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होने के बावजूद मूल्यह्रास में 20% की वृद्धि के कारण हुए हैं।
- iv. कार्यशील पूंजी और ब्याज लागत में नियोजित पूंजी के साथ-साथ पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो आंकड़े रिपोर्टिंग में आंतरिक या असंगतताओं को दर्शाती है।
- v. क्षिति रहित कीमत की गणना के लिए प्राधिकारी द्वारा नियोजित पूंजी पर 22% आय को लगातार अपनाना बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और वर्तमान आर्थिक स्थितियों या नियमावली के तहत कानूनी ढांचे के अनुरूप नहीं है। ब्रिजस्टोन टायर्स और ह्योसंग कारपोरेशन ने माना है कि ऐसी आय क्षिति विश्लेषण को विकृत करती है।
- vi. वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 को क्षति अवधि में शामिल करना त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इस अवधि में किगाली संशोधन के कारण आयात में असामान्य वृद्धि देखी गई।
- vii. मॉन्ट्रियल नयाचार में किगाली संशोधन एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से कम करने का आदेश देता है। चीन के पास 2020-2022 के आधार वर्ष थे, जिसके दौरान उसने उच्च भविष्य के कोटा सुरक्षित करने के लिए उत्पादन में वृद्धि की। इसके कारण भारत सहित अन्य देशों को अत्यधिक निर्यात हुआ, जो पाटन के कारण नहीं बल्कि पर्यावरणीय दायित्वों को पूरा करने के लिए था।
- viii. उत्पाद की कीमत और इसके मुख्य कच्चे माल, फ्लोरस्पार, जो उत्पादन लागत का 70% हिस्सा है, के बीच एक विपरीत संबंध मौजूद है। फ्लोरस्पार की कीमतों में गिरावट के बावजूद, आर134ए की कीमत में वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण किगाली संशोधन द्वारा लगाए गए आपूर्ति प्रतिबंध हैं।
- ix. घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से मांग में गिरावट के कारण हुई, न कि पाटित आयातों के कारण।

- x. यह देखते हुए कि चीन ने अब अपना एचएफसी उत्पादन कोटा सुरक्षित कर लिया है, सीमित स्वीकार्य वैश्विक आपूर्ति के कारण घरेलू मांग को प्राथमिकता देते हुए, इसके उत्पादन और निर्यात में आगे चलकर गिरावट आने की उम्मीद है।
- xi. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग ओईएम और बिक्री-पश्चात दोनों क्षेत्रों में किया जाता है, जहां घरेलू उद्योग के पास पहले से ही क्रमशः 100% और 40-50% बाजार हिस्सेदारी है।
- xii. घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया कि उसे वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कई बार शटडाउन का सामना करना पड़ा, जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन के कारण तीन महीने का पूर्ण शटडाउन, साथ ही कम मांग और मालसूची निर्माण के कारण अन्य नियोजित और अनियोजित रुकावटें शामिल हैं।
- xiii. महामारी और उससे जुड़े आर्थिक व्यवधानों के कारण उत्पादकता कम हुई और वैश्विक बाजार में अस्थिरता आई, जिसने क्षति अवधि के दौरान हुई किसी भी क्षति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- xiv. यह क्षति घरेलू उद्योग के अपने कार्यनीतिक निर्णयों का भी परिणाम है, जिसमें नई उत्पादन सुविधाओं में निवेश और उत्पाद रेंज और गुणवत्ता में सीमाएं शामिल हैं।
- xv. वर्तमान जांच में जांच की अवधि के बाद की अवधि संगत है क्योंकि आयात मात्रा में गिरावट आई है और आयात कीमत में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग पर चीन से आयात कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान कीमत 3.46 डॉलर प्रति किलोग्राम से बढ़कर मई 2025 तक 5.47 डॉलर प्रति किलोग्राम हो गई है।
- xvi. जांच की अवधि के बाद चीन से आयात कीमत जापान, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अन्य देशों से आयात कीमत की तुलना में काफी अधिक थी।
- xvii. दावा की गई क्षति को केवल आयात से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि कई आंतरिक कारकों ने घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित किया है, जैसे पुरानी प्रौद्योगिकी, घटिया कच्चे माल पर निर्भरता, बढ़ती मजदूरी, भौगोलिक अदक्षताओं, खराब वित्तीय प्रबंधन, निर्यात निष्पादन में गिरावट के बावजूद कम उत्पादकता।
- xviii. अतीत में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय सुधार नहीं दिखाया है।
- xix. पाटन के लंबे इतिहास, चीनी निर्यातकों द्वारा बाजार पर कब्जा और चीन में अतिरिक्त क्षमता के दावों को खारिज किया जाना चाहिए। वर्तमान जाँच का विश्लेषण केवल जाँच अवधि के आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए, न कि पिछले आंकड़ों पर।
- xx. किगाली संशोधन का मुद्दा असंगत है। चीन के लिए आधार अविध तीन वर्षों अर्थात 2020, 2021 और 2022 को कवर करती है। 2022-23 के दौरान आयात में वृद्धि अधिक माँग के कारण है, न कि चीनी उत्पादन में किसी उछाल के कारण।
- xxi. केवल अधिशेष क्षमता क्षति का खतरा सिद्ध नहीं करती। इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में यह पुष्टि की गई है कि केवल अधिशेष क्षमता ही शुल्कों को उचित ठहराने के लिए अपर्याप्त है। भारत की अपनी माँग बढ़ रही है और घरेलू क्षमता सीमित है, इसलिए आयात आवश्यक बना रहेगा।

- xxii. चीनी उत्पादकों ने उच्च कोटा हासिल करने के लिए आधार रेखा वर्षों में उत्पादन बढ़ाया, जिससे निर्यात में अस्थायी वृद्धि हुई। चीन से आयात में गिरावट आने की उम्मीद है क्योंकि चीन अपनी घरेलू आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है।
- xxiii. अमेरिका और यूरोपीय संघ पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इस उत्पाद को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रहे हैं, जबिक एक विकासशील देश के रूप में भारत को बढ़ती माँग को देखते हुए इस उत्पाद का आयात करने की आवश्यकता है और वह इसके प्रतिस्थापनों में नहीं जा सकता।
- xxiv. उत्पादन और माँग के संबंध में आयात केवल 2022-23 में बढ़ा, लेकिन पिछले वर्ष और जाँच की अवधि में इसमें गिरावट आई। इसलिए, एक असामान्य वर्ष पर निर्भरता गलत है।
- xxv. जाँच की अवधि में उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट कम माँग और निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण हुई। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।
- xxvi. यद्यपि संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, तथापि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।
- xxvii. घरेलू उद्योग के पास माल सूची में मामूली वृद्धि हुई। यह वृद्धि निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण हुई। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के पास माल सूची में गिरावट आई है।
- xxviii. घरेलू उद्योग को उच्च निर्यात लाभ प्राप्त हुआ, फिर भी जांच की अवधि में इसकी निर्यात बिक्री में गिरावट आई।
- xxix. घरेलू उद्योग को हुई हानि मांग और निर्यात बिक्री में कमी के कारण हुई है। इस गिरावट के कारण क्षमता उपयोग में कमी आई है, जिसका उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और निर्धारित लागतों में वृद्धि हुई है।
- xxx. घरेलू उद्योग अतिरिक्त उत्पादन में लिप्त होने और चीन जैसा ही करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि भारत का आधार वर्ष 2024-26 है।
- xxxi. घरेलू उद्योग ने चीन में अतिरिक्त क्षमता का दावा करते समय पुराने आंकड़ों पर भरोसा किया है और इसमें विभिन्न उत्पादों की क्षमता संबंधी सूचना शामिल है।
- xxxii. आर134ए की उत्पादन क्षमता विशेष रूप से अपरिवर्तित रही है और इसका कोई आक्रामक विस्तार नहीं हुआ है। अकेले संस्थापित क्षमता को निर्यात या पाटन के बराबर नहीं माना जा सकता।
- xxxiii. प्रत्येक पाटनरोधी जांच का अलग क्षेत्राधिकार होता है और यह विशिष्ट देश की विशिष्ट बाजार स्थितियों, कानूनी मानकों और क्षित मापदंडों पर आधारित होता है।
- xxxiv. अन्य देशों द्वारा लगाए गए उपाय अलग-अलग समयावधियों से संबंधित हैं, और कुछ मामलों में, अलग-अलग उत्पाद, जैसे कि शुद्ध आर134ए के बजाय मिश्रण, उन्हें अतुलनीय बनाते हैं।
- xxxv. संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाया गया अतिरिक्त 25% शुल्क धारा 301 के तहत एक व्यापार नीति कार्रवाई है और यह पाटनरोधी या क्षति परिणामों से असंबद्ध है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

57. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. पिछले उपायों के बावजूद, चीनी उत्पादकों ने पाटन तेज कर दिया है। समय के साथ, चीनी उत्पादकों का पाटन मार्जिन 2021 में 35-55% से बढ़कर 125-135% हो गया है।
- ii. मॉन्ट्रियल नयाचार में किगाली संशोधन विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग समय-सीमा के साथ एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से कम करने का आदेश देता है। समूह 1 के अंतर्गत वर्गीकृत चीन की आधार अविध 2020-2022 है और उसे 2029 में कटौती शुरू करनी होगी, जबिक भारत (समूह 2) की आधार अविध 2024-2026 है, जिसमें कटौती 2032 से शुरू होगी।
- iii. 2022 में, चीन की आधार रेखा के अंतिम वर्ष में, चीन जन.गण. से आयात में तेजी से वृद्धि हुई क्योंकि भविष्य में अनुमेय उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए आर-134ए का उत्पादन बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय आयात में 2021-22 में 1,294 एमटी से 2022-23 में 8,000 एमटी तक की नाटकीय वृद्धि हुई, जिससे भारत के घरेलू उद्योग के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो गया।
- iv. चीनी उत्पादकों ने दावा किया है कि किगाली संशोधन के कारण क्षति अविध में आयात में वृद्धि हुई है। भविष्य के एचएफसी कोटा के लिए उच्च आधार रेखा लेने के लिए चीनी उत्पादकों ने अपना उत्पादन बढ़ाया और अब अपने उत्पाद को कम कीमतों पर निर्यात कर रहे हैं।
- v. चीनी उत्पादकों के पास आर-134ए के लिए पर्याप्त अधिशेष क्षमता है। वर्तमान में चीन में उत्पादकों के पास 335,000 एमटी की क्षमता है, जो भारत में मांग से लगभग 17 गुना अधिक है।
- vi. यूएसआईटीसी और डीजीटीआर ने लगातार चीनी उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमता को स्वीकार किया है। यदि शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो चीनी उत्पादक भारतीय बाजार में और अधिक आयात करेंगे।
- vii. सिनोकैम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (टीएआईसीएएनजी) कंपनी लिमिटेड और शानक्सी सिनोकैम लांटियन न्यू केमिकल मटेरियल कंपनी लिमिटेड ने स्वीकार किया है कि 2022-23 के दौरान चीन से आयात में तेज वृद्धि चीन द्वारा किगाली संशोधन को स्वीकार करने के कारण हुई।
- viii. 2022-23 में आयात असामान्य था और इसलिए, आयात मात्रा की तुलना 2020-21 और 2021-22 में दर्ज की गई मात्रा से की जा सकती है।
- ix. यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में कड़े विनियामक उपायों के कारण आर-134ए की वैश्विक मांग में गिरावट आई है, जिन्होंने उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के कारण एचएफसी के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम कर दिया है या प्रतिबंधित कर दिया है। परिणामस्वरूप, गिरती मांग के बीच चीनी उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमता बची हुई है।
- x. चीन की पहले की किगाली चरणबद्ध कटौती समय-सीमा (2029 से शुरू होने वाली कटौती) और उसके उच्च उत्पादन स्तर को देखते हुए, इस अतिरिक्त उत्पादन को भारत जैसे बाजारों में पुन: भेजा जा रहा है। पाटनरोधी शुल्क के बिना, भारत इस अधिशेष के लिए पाटन आधार बनने का जोखिम उठाता है, जिससे उसके घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान होता है।
- xi. चीनी उत्पादकों को अन्य देशों में भी पाटनरोधी शुल्क का सामना करना पड़ा है। अमेरिका ने 2017 में शुल्क लगाया और 2022 में शुल्क बढ़ा दिया। अर्जेंटीना ने भी 2020 में चीन से एचएफसी मिश्रण पर 7% शुल्क लगाया। अन्य देशों द्वारा किए गए उपाय स्पष्ट रूप से चीनी उत्पादकों के पाटन पैटर्न को दर्शाते हैं।

- xii. 2020-21 और 2021-22 में चीन जन.गण. से आयात 1862 एमटी था और 2022-23 में 1294 एमटी नाटकीय रूप से बढ़कर 7909 एमटी हो गया।
- xiii. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में चीन जन.गण. से आयात मूल्य में लगभग 200% की वृद्धि हुई है। आयात का मूल्य 47 करोड़ रुपये से बढ़कर 140 करोड़ रुपये हो गया है।
- xiv. उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात में वृद्धि हुई है।
- xv. उत्पाद की लंबी शेल्फ लाइफ को देखते हुए, 2022-23 के दौरान अतिरिक्त आयात उस अवधि में बाजार द्वारा पूरी तरह से नहीं लिए गए थे, लेकिन बाद की अवधि में खपत किए जाते रहे।
- xvi. संबद्ध देश से आयात की पहुंच कीमत आवेदक की बिक्री कीमत से काफी कम थी। इस प्रकार, कीमत कटौती सकारात्मक है। आयात कीमत पीसीएन आधार पर भी बिक्री कीमत से कम है।
- xvii. 2021-22 में, बिक्री की लागत और बिक्री कीमत, दोनों में वृद्धि हुई, जिसमें बिक्री कीमत लागत की तुलना में काफी अधिक बढ़ी, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता में सुधार हुआ।
- xviii. 2022-23 में, जबिक बिक्री की लागत लगभग *** रुपये प्रति एमटी तक बढ़ी, बिक्री कीमत में केवल *** रुपये प्रति एमटी तक की वृद्धि हुई, जिससे आवेदक की लाभप्रदता में तेज गिरावट आई। यह आयात में असामान्य वृद्धि की अविध थी।
- xix. जांच की अविध के दौरान, बिक्री की लागत में *** रुपये प्रति एमटी तक की गिरावट आई, लेकिन बिक्री कीमत में *** रुपये प्रति एमटी तक की और गिरावट आई। इसलिए, आयातों का आवेदक की कीमतों पर ह्रासमान प्रभाव पड़ता है।
- xx. संस्थापित क्षमता स्थिर रही और पूरे देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। तथापि, कम कीमत वाले आयातों के कारण, आवेदक ने ***% अप्रयुक्त क्षमता से प्रचालन किया।
- xxi. आवेदक का उत्पादन 2021-22 में बढ़ा और 2022-23 में और बढ़ा। तथापि, जाँच की अवधि में इसमें गिरावट आई। कम कीमत वाले आयातों के कारण, आवेदक अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया।
- xxii. घरेलू बिक्री मात्रा में 10% की वृद्धि के बावजूद, आवेदक के बिक्री राजस्व में गिरावट आई, जिससे पता चलता है कि आवेदक को अपने ग्राहक आधार को बनाए रखने के लिए लाभप्रदता से समझौता करना पड़ा।
- xxiii. चीन की बाजार हिस्सेदारी 2021-22 में घटी और 2022-23 में बढ़ी, हालाँकि जाँच की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई। अन्य देशों की बाजार हिस्सेदारी 2021-22 में 32% से घटकर जाँच की अवधि में 2% हो गई।
- xxiv. जाँच की अवधि में आवेदक की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। पूरी माँग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद, आवेदक केवल ***% ही हासिल कर पाया।
- xxv. आवेदक का लाभ 2021-22 में बढ़ा, लेकिन 2022-23 में आयात में वृद्धि के साथ इसमें भारी गिरावट आई और जाँच की अवधि के दौरान यह और बिगड़ गया। आवेदक को लागत से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, अंततः लाभ घाटे में बदल गया।

- xxvi. आधार वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष की तुलना में जाँच की अविध में नकद लाभ में लगभग 55% की गिरावट आई। इसी अविध में पीबीआईटी में भी 65% की भारी गिरावट आई। आवेदक ने जांच की अविध में सबसे कम पीबीआईटी और नकद लाभ दर्ज किया।
- xxvii. आवेदक को घरेलू बाजार में हानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वह अमेरिका, यूएई और ताइवान जैसे देशों को निर्यात से पर्याप्त लाभ अर्जित करता है, जो दर्शाता है कि घरेलू क्षति वैश्विक कीमत निर्धारण के कारण नहीं है।
- xxviii. आवेदक ने मात्रा और मूल्य मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
- xxix. आवेदक ने निर्यात में अधिक लाभ अर्जित किया, जबिक घरेलू बाजार में उसे घाटा हुआ, निर्यात निष्पादन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। इसलिए, निर्यात क्षति का कारण नहीं है।
- xxx. निवल अचल संपत्तियों में वृद्धि का अर्थ आवश्यक रूप से उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं है, क्योंकि अचल संपत्तियों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बॉयलर और चिलर जैसे अन्य आवश्यक घटकों से संबंधित हो सकता है, जो क्षमता में वृद्धि नहीं करते हैं।
- xxxi. नियोजित पूंजी में निवल अचल परिसंपत्तियां और कार्यशील पूंजी शामिल होती है, और वर्तमान मामले में, आवेदक की निवल अचल परिसंपत्तियों में वास्तव में इस अविध में गिरावट आई है, जबिक बिक्री के स्तर में भिन्नता रही है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं भुगतान और प्राप्य नीतियों, मालसूची, कच्चे माल की खरीद और अल्पकालिक वित्तपोषण जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं, और किसी भी उत्पाद की क्षमता से सीधे जुड़ी नहीं होती हैं।
- xxxii. आवेदक 2022-23 तक लाभदायक रहा, केवल चीन जन.गण. से पाटित आयातों की कीमतों में गिरावट के कारण जांच की अविध के दौरान घाटा दर्ज किया। यदि आंतरिक कारक कारण होते, तो क्षित अविध के दौरान लगातार घाटा होता, जो कि स्थिति नहीं है।
- xxxiii. नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को अन्य कारकों के प्रभाव को तभी अलग करना होगा जब हितबद्ध पक्षकार उनकी पहचान करें, साक्ष्य प्रदान करें, निष्पादन पर उनके प्रभाव को सिद्ध करें, और प्रभाव की मात्रा निर्धारित करें। ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- xxxiv. संयंत्र बंद होना नेमी है और इससे प्रचालन प्रभावित नहीं हुए हैं, क्योंकि 2020-21 और 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि में उत्पादन में वृद्धि हुई।
- xxxv. महामारी का आर्थिक प्रभाव 2020-21 तक सीमित था। आवेदक के निष्पादन में 2021-22 में उचित लाभ के साथ सुधार हुआ, लेकिन 2022-23 में पाटित आयातों में वृद्धि के कारण तेजी से गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप जांच की अविध के दौरान हानियां हुई। इसलिए, क्षित को कोविड-19 के कारण नहीं माना जा सकता है।
- xxxvi. आवेदक के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और ताइवान जैसे बाजारों में निर्यात किए जाते हैं।
- xxxvii. जांच की अवधि के बाद की अवधि मूल जांच से कोई संगतता नहीं रखती है, क्योंकि प्राधिकारी ने जांच की अवधि के रूप में 12 महीने माने हैं, जो किसी भी अस्थायी घटना को विकृत करने के लिए पर्याप्त है।

मेट्रोनिडाजोल मामले में, जांच की अवधि के बाद की जांच केवल इसलिए की गई क्योंकि आवेदक ने छह महीने की जांच की अवधि मांगी थी।

xxxviii. जांच की अवधि के बाद, चीन से आयात में मामूली गिरावट आई है। यद्यपि आयात कीमत में वृद्धि हुई है, तथापि वह अन्य देशों से आयात कीमत से काफी कम रही।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 58. नियमावली के अनुबंध-11 के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षित निर्धारण में उन कारकों की जाँच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षित का संकेत दे सकते हैं, "... सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है।" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जाँच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को उल्लेखनीय रूप से कम करना या कीमतों में ऐसी वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध ॥ के अनुसार विचार किया गया है।
- 59. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत फ्लोरस्पार की कीमत के अनुरूप नहीं रही है, जिसका उत्पाद लागत में 70% हिस्सा है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आंकड़ों की जाँच की है। उन्होंने पाया कि फ्लोरस्पार की लागत दावा किए गए हिस्से से काफी कम है। अन्य कच्ची सामग्री की लागत में भी उतार-चढ़ाव आया है और केवल फ्लोरस्पार की लागत पर निर्भर रहना अनुचित होगा।
- 60. प्राधिकारी ने आवेदक सिहत हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
- 61. विचाराधीन उत्पाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन द्वारा शासित है। चीन के लिए आधार अविध 2020-2022 है, जबिक भारत के लिए यह 2024-2026 है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया था कि 2022-23 में आयात की मात्रा अधिक थी क्योंकि यह चीन की आधार अविध का अंतिम वर्ष था। चीन के उत्पादकों ने भविष्य में उच्च उत्पादन कोटा सुनिश्चित करने के लिए अपने उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिसके कारण 2022-23 में चीन से भारत में आयात में तीव्र वृद्धि हुई। उत्पाद की शेल्फ लाइफ अधिक है और इसलिए आयातित उत्पाद अभी भी घरेलू बाजार में स्टॉक के रूप में हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने इस तर्क का खंडन नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने भी स्वीकार किया है कि 2022-23 में चीन से आयात में वृद्धि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन को चीनी सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण हुई थी। घरेलू उद्योग ने आयात की मात्रा और मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से 2022-23 को बाहर रखने का अनुरोध किया है। क्षिति आकलन के लिए जाँच अविध और संपूर्ण क्षित

अवधि के निर्धारण का उद्देश्य घरेलू उद्योग के चार वर्षों की संपूर्ण अवधि के निष्पादन पर विचार करना है। अत:, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना की है और बीच की अवधि के निष्पादन को उचित महत्व दिया गया है।

27

- 62. यह दावा किया गया है कि क्षिति-रिहत कीमत के निर्धारण के लिए 22% आय पर विचार करना उचित नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में संगत दिशानिर्देश पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III में स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। प्राधिकारी ने लगातार नियोजित पूंजी पर 22% आय की अनुमित दी है और वर्तमान जाँच में भी इसे अपनाया गया है।
- 63. यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग के आँकड़े स्थापित उत्पादन क्षमता में किसी भी संगत विस्तार के बिना ब्याज और मूल्यह्रास व्यय में वृद्धि दर्शाते हैं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि जब समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के आँकड़ों पर विचार किया जाता है, तो इन लागतों में गिरावट आई है। मूल्यह्रास और ब्याज की घरेलू लागतों में वृद्धि घरेलू बिक्री की मात्रा में वृद्धि और निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि इन वित्तीय आँकड़ों में ऐसे परिवर्तन विभिन्न वैध प्रचालन परिवर्तनों या लेखांकन पद्धितयों के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि निवल अचल संपत्तियों और मूल्यह्रास में प्रत्येक वृद्धि से क्षमता में वृद्धि हो। एक उत्पादक संयंत्र में कुछ पूँजीगत व्यय कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, किंतु इन लागतों में वृद्धि होगी। प्राधिकारी ने मूल्यह्रास और ब्याज लागत की जाँच की है और यह पाया गया है कि ये प्राधिकारी द्वारा रखी गई बहियों के अनुरूप हैं।
- 64. यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा कई बार शटडाउन किए गए। प्राधिकारी ने नोट किया कि व्यावसायिक प्रचालनों में अस्थायी रुकावटें, जिनमें संयंत्रों का बंद होना भी शामिल है, औद्योगिक गतिविधि के दौरान स्वाभाविक हैं और ये रखरखाव, मरम्मत और बाजार की स्थितियों जैसे कारकों के कारण होती हैं। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि यद्यपि कुछ शटडाउन हुए थे, फिर भी जांच अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन आधार वर्ष और 2021-22 की तुलना में बढ़ा है। अत:, प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क में कोई सत्यता नहीं दिखती है।
- 65. यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षित महामारी और उससे जुड़े आर्थिक व्यवधानों के कारण हुई है। प्राधिकारी नोट किया कि पक्षकारों ने केवल वक्तव्य दिए हैं और अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। कोविड महामारी एक ऐसी घटना थी जो 2020-21 में घटित हुई थी। 2021-22 में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ, जिससे यह सिद्ध हुआ कि घरेलू उद्योग कोविड-19 के प्रभाव से उबर गया है।
- 66. यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में गिरावट आई है और यह क्षित वैश्विक बाजार की अस्थिरता के कारण हुई है। प्राधिकारी ने केवल घरेलू प्रचालनों के लिए घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने निर्यात बाजार के लिए घरेलू उद्योग की कीमतों की भी जांच की है और यह देखा गया है कि निर्यात कीमतों घरेलू कीमतों से काफी अधिक हैं। क्षित विश्लेषण केवल घरेलू प्रचालनों तक ही सीमित है।

प्राधिकारी चीन - एक्स-रे उपकरण पर विश्व व्यापार संगठन पैनल की रिपोर्ट का भी संदर्भ देते हैं, जिसमें पैनल ने कहा था कि जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक को क्षति पहुँचाने वाला मानता है, किंतु यह दर्शाने वाला साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता कि यह कारक घरेलू उद्योग को किस प्रकार क्षति पहुँचा रहा है. तो जाँच प्राधिकारी को उस कारक के संबंध में कोई निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है।

67. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आयात मात्रा में गिरावट और आयात कीमत में वृद्धि का संदर्भ देते हुए तर्क दिया है कि जाँच के बाद की अविध वर्तमान जाँच के लिए प्रासंगिक है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि जाँच के बाद की अविध का इस जाँच से कोई संबंध नहीं है। प्राधिकारी ने पहले ही जाँच की अविध 12 महीने निर्धारित कर दी है, यह अविध विशेष रूप से किसी भी अस्थायी घटना को शामिल करने के लिए निर्धारित की गई है जो अन्यथा व्यापार आकड़े को विकृत कर सकती है, जिससे मूल्यांकन के लिए एक विश्वसनीय आधार उपलब्ध होता है। जाँच की 12 महीने की अविध पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, दोनों का गहन मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त है।

छ.3.1 माँग/स्पष्ट खपत का आकलन

68. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की माँग/स्पष्ट खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में किया है।

豖.	विवरण		2020-	2021-	2022-	1000000
सं.		यूओएम	21	22	23	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	96	145	160
2	संबंधित देशों से आयात	एमटी	1,549	1,118	7,502	4,764
3	अन्य देशों से आयात	एमटी	1,856	1,918	2,142	594
4	आबद्ध को छोड़कर मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	93	200	159
5	आबद्ध बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	111	175	161
6	आबद्ध सहित मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	95	198	159

69. यह देखा गया है कि उत्पाद की मांग 2021-22 में मामूली रूप से घटी, किंतु 2022-23 में तेजी से बढ़ी और जांच अविध में फिर से घट गई। तथापि, जांच अविध में मांग में फिर से गिरावट आई। जांच अविध के दौरान, उत्पाद की मांग में 59% की वृद्धि हुई है।

70. यह बताया गया है कि मांग में वृद्धि उत्पाद की खपत में वृद्धि के कारण नहीं, बल्कि संबद्ध देश से आयात में असामान्य वृद्धि के कारण हुई है। उत्पाद की शेल्फ लाइफ लंबी है और इसका उपभोग नहीं किया गया है।

छ.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा और कीमत प्रभाव

क. संबद्ध देश से आयात की मात्रा

71. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में, समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने सौदा-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। इसकी जानकारी निम्नानुसार है:

豖.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
सं.		यूजाएन	2020-21	2021-22	2022-23	শাসাসাহ
क	आयात मात्रा					
1	चीन जन. गण. से आयात	एमटी	1,549	1,118	7,502	4,764
2	अन्य देशों से आयात	एमटी	1,856	1,918	2,142	594
3	भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
4	भारतीय खपत	एमटी	***	***	***	***
ख	निम्न की दृष्टि से संबद्ध आयात					
1	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	62	307	226
2	भारतीय माँग	%	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	78	242	194
3	कुल आयात	%	45%	37%	78%	89%
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	81	171	195

- 72. यह देखा गया है कि:
- क. संबद्ध आयातों की मात्रा 2021-22 में घटी, 2022-23 में तेजी से बढ़ी और जांच अवधि में घटी थी। क्षति अवधि में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में आयात की मात्रा दोगुनी हो गई है।
- ख. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि 2022-23 में संबद्ध देश से आयात में वृद्धि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन को चीन सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण हुई।
- ग. कीमत के संदर्भ में, आयात आधार वर्ष में 47 करोड़ रुपये से बढ़कर जांच अवधि में 140 करोड़ रुपये के हो गए हैं। क्षति अवधि में आयात का मूल्य 3 गुना बढ़ गया है।
- घ. उत्पादन के संबंध में आयात आधार वर्ष में ***% से बढ़कर जांच अविध में ***% हो गया है।

- ङ. खपत के संबंध में आयात आधार वर्ष में ***% से बढ़कर जाँच अवधि में ***% हो गया है।
- च. यद्यपि जाँच अवधि में संबद्ध देश से आयात में वृद्धि हुई है, तथापि अन्य देशों से आयात में तीव्र गिरावट आई है। जाँच अवधि में भारत में कुल आयात में संबद्ध देशों से आयात का बड़ा हिस्सा है।
- छ. संबद्ध देशों से आयात में समग्र रूप से और साथ ही भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में भी वृद्धि हुई है।

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

73. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा कीमत में उल्लेखनीय कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है है, जो अन्यथा सामान्य क्रम में बढ़ गई होती। कीमत कटौती और कीमत हास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के पहुँच कीमत के साथ की गई है।

क. कीमत कटौती

74. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य के साथ की गई है। प्राधिकारी ने पैक्ड रूप और अनपैक्ड रूप को दो पीसीएन के रूप में अधिसूचित किया है। चूँकि पीसीएन को अपनाया गया है, इसलिए भारित औसत कीमत कटौती के साथ-साथ पीसीएन-वार कीमत निर्धारण किया गया है।

() ($^{\prime}$	•	\sim $^{\prime}$	3 00	\sim	307	- 6 0 3
75. नीचे र्द	ा गइ ताालक	ा जाच	अवाध क व	शैरान पीसीएन	-वार कामत	कटाता का	ंदशाता ह।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	पैक्ड	अनपैक्ड	भारित औसत
1	आयात मात्रा	एमटी	49	4,716	4,764
2	पंहुच कीमत	रु./एमटी	4,12,319	3,07,838	3,08,909
3	निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***
4	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***
5	कीमत कटौती	%	***	***	***
6	कीमत कटौती	रेंज	10-20%	20-30%	20-30%

76. यह देखा गया है कि जांच अवधि में संबद्ध आयातों की पीसीएन-वार पंहुच कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप भारी सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

77. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव ऐसी कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक न्यूनीकरण करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य रूप से बढ़ गई होती, क्षति अविध के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की निम्नानुसार जांच की गई है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	107	125	119
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	119	126	110

- 78. यह देखा गया है कि:
- क. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में 2021-22 में वृद्धि हुई है। बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत से अधिक थी। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग 2021-22 में तर्कसंगत लाभ अर्जित करने में सक्षम रहा।
- ख. वर्ष 2022-23 में बिक्री लागत और बिक्री कीमत में आगे और वृद्धि हुई। यद्यपि बिक्री लागत में 18 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई, वहीं बिक्री कीमत में केवल 7 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के लाभ में 122% से अधिक की तीव्र गिरावट आई। इस अविध में संबद्ध देश से आयात की मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
- ग. जाँच अवधि में, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई। बिक्री लागत में गिरावट की तुलना में बिक्री कीमत में अधिक दर से गिरावट आई है।
- घ. घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को बिक्री लागत में परिवर्तन के अनुरूप कराने में असमर्थ रहा है।
- 79. नीचे दी गई तालिका जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की पीसीएन-वार पहुंच कीमत और बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	पैक्ड	अनपैक्ड	भारित औसत
1	पीसीएन वार पंहुच कीमत	रु./एमटी	4,12,319	3,07,838	3,08,909
2	पीसीएन वार सकल बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***
3	पीसीएन वार बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***

80. यह देखा गया है कि जाँच अवधि में आयातों का पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम है। अतः, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत में परिवर्तन के अनुरूप कीमत निर्धारण करने से अवरूद्ध किया है और इसलिए, पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

81. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ और उचित मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के

मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास और पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षिति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षिति मानदंडों की निष्पक्ष जांच की है:

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

82. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	117	158	136
3	पीयूसी का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	120	152	136
4	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	96	145	160
5	क्षमता उपयोग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	117	158	136

- 83. यह देखा गया है कि:
- क. घरेलू उद्योग की क्षमता संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है। भारतीय उद्योग की क्षमता देश में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- ख. उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2021-22 में वृद्धि हुई है और 2022-23 में भी वृद्धि हुई है। तथापि, जांच अवधि में उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- ग. आवेदक की घरेलू बिक्री में 2021-22 में गिरावट आई है। बिक्री में 2022-23 में वृद्धि हुई और जांच अवधि में आगे और वृद्धि हुई।

ख. बाजार हिस्सा

84. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और संबद्ध देश के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नानुसार की है

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	103	72	101
2	संबद्ध देश	%	***	***	***	***

	प्रवृति	सूचकांक	100	78	242	194
3	अन्य देश	%	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	111	58	20

- 85. यह देखा गया है कि: -
- i. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में 2021-22 में कमी आई, 2022-23 में तेजी से बढ़ा, किंतु जांच अवधि में इसमें गिरावट आई।
- ii. यद्यपि संबद्ध देश के बाजार हिस्से पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घटा है, किंतु आधार वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है।
- iii. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पिछले वर्ष के साथ-साथ आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में वृद्धि हुई है।
- iv. संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी ***% तक सीमित रही।
- v. अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में ***% से तेजी से घटकर जांच अवधि में मात्र ***% रह गई।

ग. मालसूची

86. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
2	अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
3	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	77	66	69

87. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची 2021-22 में कम हुई और 2022-23 में और भी कम हुई। तथापि, जाँच अविध में मालसूची में वृद्धि हुई। यह बताया गया है कि कोविड के प्रकोप के कारण 2020-21 में घरेलू उद्योग के पास प्रारंभिक मालसूची अधिक रही थी।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और विनियोजित पूँजी पर आय

88. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संदर्भ में जाँच की गई है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	प्रति इकाई लाभ/(हानि)	रु./एमटी	(***)	***	(***)	(***)
	प्रवृति	सूचकांक	(100)	618	(88)	(603)
2	लाभ/(हानि)	लाख रुपये	(***)	***	(***)	(***)

	प्रवृति	सूचकांक	(100)	591	(127)	(963)
3	नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	(***)
	प्रवृति	सूचकांक	100	265	87	(16)
4	नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	(***)
	प्रवृति	सूचकांक	100	254	126	(26)
5	पीबीआईटी	रु./एमटी	***	***	***	(***)
	प्रवृति	सूचकांक	100	705	103	(318)
6	पीबीआईटी	लाख रुपये	***	***	***	(***)
	प्रवृति	सूचकांक	100	674	149	(509)
7	आरओसीई	%	***	***	***	(***)
	प्रवृति	सूचकांक	100	509	100	(303)
8	औसत नियोजित पूंजी	लाख रुपये	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	132	159	168

89. यह देखा गया है कि:

- क. क्षित अविध के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई। घरेलू उद्योग 2021-22 में तर्कसंगत लाभ अर्जित कर रहा था। 2022-23 में चीन जनवादी गणराज्य से आयात में वृद्धि के साथ-साथ पंहुच कीमत में गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग के लाभ में तेजी से गिरावट आई है और यह घाटे में बदल गया है। पंहुच कीमत में निरंतर गिरावट के साथ, जाँच अविध में घरेलू उद्योग का घाटा और भी अधिक हो गया।
- ख. क्षति अवधि के दौरान नकद लाभ और ब्याज एवं कर पूर्व लाभ में क्रमशः 126% और 609% की गिरावट आई है।
- ग. क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय में 403% की गिरावट आई है।
- घ. जाँच अवधि के दौरान निवेश पर आय में तेजी से गिरावट आई और सबसे कम आय दर्ज की गई।

ङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

90. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	131	132	158
2	प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	120	152	136
3	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	91	115	86
4	वेतन और मजदूरी	लाख रुपये	***	***	***	***

1 1		1	1	İ	İ	1	ı
	प्रवृति	सूचकांक	100	117	121	147	

- 91. यह देखा गया है कि:
- क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार और वेतन एवं मजदूरी के स्तर में सुधार हुआ है।
- ख. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की प्रतिदिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई है।
- ग. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये मानदंड कई अन्य मानदंडों पर निर्भर हैं और इसलिए उद्योग को हुई क्षति को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

च. वृद्धि

92. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार रही है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23
1	क्षमता	%	-	-	-
2	उत्पादन	%	17%	35%	-14%
3	घरेलू बिक्री मात्रा	%	-4%	51%	10%
4	मालसूची	%	-23%	-14%	4%
5	प्रति इकाई लाभ	%	-718%	-114%	585%
6	प्रति इकाई नकद लाभ	%	165%	-67%	-119%
7	प्रति इकाई पीबीआईटी	%	605%	-85%	-409%
8	आरओसीई	%	409%	-80%	-403%

93. घरेलू उद्योग के उत्पादन जैसे मात्रात्मक मापदंडों में जाँच अवधि में नकारात्मक गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू उद्योग के सभी कीमत मापदंडों में उल्लेखनीय रूप से नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

छ. पाटन की मात्रा

94. पाटन की मात्रा इस बात का संकेतक है कि भारत में आयातित वस्तुओं का किस सीमा तक पाटन किया जा रहा है। जाँच से पता चला है कि जाँच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक रहा है।

ज. पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूँकि घरेलू उद्योग वित्तीय घाटे और नियोजित पूँजी पर कम आय से जूझ रहा है, इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आय बैंक वित्तपोषण दर से कम है। उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग की कार्यशील पूँजी की ज़रूरतें गंभीर रूप से जोखिम में पड़ गई हैं। अत:, पूँजी निवेश जुटाने या नियोजित पूँजी के लिए धन जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है।

झ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

96. पीसीएन-वार आयात कीमत की जाँच से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयात कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम है। संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत में गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को बिक्री लागत में परिवर्तन के अनुरूप समायोजित करने में असमर्थ रहा है। घरेलू बाजार में उत्पाद का पाटन ही एकमात्र कारक है जो घरेलू कीमतों को प्रभावित कर रहा है।

छ.3.5 क्षति संबंधी निष्कर्ष

- 97. उपर्युक्त के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं:
- क. क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- ख. आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।
- ग. जाँच अवधि में, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई है। बिक्री लागत में गिरावट की तुलना में बिक्री कीमत में अधिक दर से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को बिक्री लागत में परिवर्तन के साथ समतुल्य करने में असमर्थ रहा है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं।
- घ. जाँच अवधि में आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है और लाभ, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पूँजी पर आय में भारी गिरावट आई है।
- ङ. घरेलु उद्योग की वृद्धि काफी प्रभावित हुई है क्योंकि सभी कीमत मापदंडों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
- च. पूंजी जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है।

ज. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

98. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा, ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जाँच करनी आवश्यक है जो घरेलू उद्योग को क्षित पहुँचा रहे हैं या पहुँचाने की संभावना रखते हैं, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षित को पाटित आयातों के कारण नहीं माना जाए। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, माँग में कमी या उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जाँच की गई है कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षित में योगदान दिया हो सकता है।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

99. भारत में कुल आयात में संबद्ध देशों से आयात का हिस्सा 95% है। अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात या तो (क) नगण्य मात्रा में है, या (ख) अधिक कीमतों पर हुआ है और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा रहा है।

ख. माँग में संकुचन

100. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की माँग में वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया है कि घरेलू बिक्री में वृद्धि देखी गई है। अत:, माँग में कमी के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ग. उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन

101. विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की प्रवृत्ति में ऐसा कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

102. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँच सकती हो। इसलिए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुँची है।

ङ. प्रौद्योगिकी का विकास

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः, प्रौद्योगिकी के विकास से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

च. निर्यात निष्पादन

104. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के क्षति आंकड़ों पर अलग से विचार किया है। अतः, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है। तथापि, यह देखा गया है कि निर्यात बाजार में निष्पादन घरेलू बाजार की तुलना में काफी बेहतर है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

105. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

झ. पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

- 106. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन, रिकॉर्ड में उपलब्ध विभिन्न सूचनाओं और उपर्युक्त विश्लेषण पर विचार करते हुए, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पंहुचे हैं:
- क. संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर हुए हैं।
- ख. पीसीएन-वार पहुँच कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से कम है।
- ग. सकारात्मक कीमत कटौती और कीमत ह्रास ने घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- घ. कम कीमत वाले आयातों के कारण, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 में घाटे में बदल गई और जाँच अवधि में आगे और कम हो गई।
- ङ. संबद्ध देश से आयात में समग्र रूप से और साथ ही उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। आयात में वृद्धि के साथ, संबद्ध देश का बाजार बढ़ा है।
- च. पाटित आयातों में वृद्धि के साथ-साथ, घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- छ. पाटित आयातों के बाजार हिस्से में भी वृद्धि हुई है।

ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा

107. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देश से प्राप्त कीमत की तुलना हेतु क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या अनावर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से अलग रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात, औसत निवल अचल संपत्तियाँ और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर-पूर्व 22% की दर से) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमित दी गई थी तािक पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III में यथा निर्धारित क्षतिरहित कीमत निर्धारित की जा सके।

108. ऊपर निर्धारित पहुँच कीमत और क्षतिरहित कीमत की तुलना आर134ए के लिए पीसीएन आधार पर की गई है। उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन का भारित औसत नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.	उत्पादक का नाम	क्षतिरहित कीमत	पंहुच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		(अम.डा./एम	(अम.डा./एम	(अम.डा./ए	(%)	(रेंज)
		टी)	टी)	मटी)	(**)	
	शानक्सी सिनोकेम लांटियन न्यू					
1	केमिकल मटेरियल कंपनी	***	***	***	***	40-50
	लिमिटेड					
	सिनोकेम एनवायर्नमेंटल					
2	प्रोटेक्शन केमिकल्स (टाइकांग)	***	***	***	***	40-50
	कंपनी लिमिटेड					
3	शांदोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कंपनी	***	***	***	***	30-40.
	लिमिटेड					
	झेजियांग सानमेई केमिकल					
4	इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड और	***	***	***	***	30-40
	जियांग्सू सानमेई केमिकल					
	इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड					
5	रुयुआन डोंगयांगगुआंग फ्लोरीन कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
	ज़िबो फ़ेयुआन केमिकल कंपनी					
6	ाज़बा फ़युआन कामकल कपना लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
7	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20.40
/	नगर जन्म अस्माप्तम					30-40

- ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे
- ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
- 109. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने दावा किया कि उत्पाद पर शुल्क से उपभोक्ताओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा और डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं के हित गौण हैं। डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और प्राय: घरेलू मांग पूरी न होने के कारण आयात पर निर्भर रहते हैं।
- ii. चीन द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार में बेहतर निवेश के परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिससे उसके उत्पाद भारत के उत्पादों की तुलना में अधिक आकर्षक बन जाते हैं।
- iii. घरेलू उद्योग, एकमात्र उत्पादक होने के कारण, एकाधिकार स्थापित कर रहा है और कीमतों में गड़बड़ी कर रहा है। यह डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं को आपूर्ति नहीं करता है, इसलिए आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाना अनुचित होगा और घरेलू और आयातित आपूर्ति दोनों की कमी के कारण आश्रित उद्योगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकता है।
- iv. आर-134ए प्रशीतन, ऑटोमोटिव और फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख इनपुट है, और शुल्कों से निविष्टि लागत बढ़ेगी, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योगों और उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा।
- v. घरेलू उत्पादन क्षमता मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, और आपूर्ति स्थिरता बनाए रखने में आयात महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- vi. घरेलू उद्योग पूरी मांग को पूरा नहीं कर सकता है और सभी डाउनस्ट्रीम को आपूर्ति नहीं कर पाता है, जो बेहतर गुणवत्ता और तकनीक के कारण चीन से आयात पर निर्भर हैं। वैश्विक स्तर पर इस उत्पाद के केवल चार उत्पादक हैं और पाटनरोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित करेंगे।
- vii. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाते हैं तो बाजार में पीयूसी का कोई विकल्प नहीं है। केवल चार देश जैसे अमेरिका, जापान, चीन और भारत इसका उत्पादन करते हैं। अमेरिका और जापान केवल अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करते हैं, जबिक भारत अपनी मांग को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता है। परिणामस्वरूप, डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं को चीन से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
- viii. चीन से आर-134ए के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से न केवल डाउनस्ट्रीम उद्योगों को नुकसान होगा, बल्कि अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ताओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- ix. घरेलू निर्माताओं के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने हेतु आर-134ए जैसी कच्ची सामग्री तक किफ़ायती पहुँच अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुल्क लगाने से लागत बढ़ती है, नवाचार हतोत्साहित होता है और उद्योग की दीर्घकालिक वृद्धि को खतरा होता है। इससे माँग निम्न-गुणवत्ता वाले विकल्पों की ओर बढ़ सकती है, जिससे अंतिम उत्पादों की गुणवत्ता और गुणों पर संभावित रूप से प्रभाव पड़ सकता है।
- x. कच्ची सामग्री की बढ़ी हुई कीमतों के कारण बढ़ी हुई उत्पादन लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिससे आम जनता के लिए कीमतों में वृद्धि होगी।
- xi. पाटनरोधी नियमावली में जनहित खंड के अनुसार, शुल्क लगाने से पहले प्राधिकारी को उपभोक्ताओं, डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं और समग्र आर्थिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव सहित व्यापक आर्थिक कारकों पर विचार करना अनिवार्य है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

110. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. पूर्व में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता बढ़ाने का अवसर मिला था। 2011-12 और 2013-14 के बीच, आवेदक की क्षमता केवल *** मीट्रिक टन थी। 2011 में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के साथ, आवेदक पाटित आयातों के प्रभाव से उबरने और आगे बढ़ने में सक्षम हुआ और आवेदक ने अपनी क्षमता बढ़ाकर *** मीट्रिक टन कर ली।
- ii. किगाली संशोधन के अंतर्गत, चीन को अपनी आर-134ए उत्पादन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए बहुपक्षीय निधियों से पहले ही पर्याप्त धनराशि प्राप्त हो चुकी है। इसकी आधार अवधि समाप्त होने और 2029 में चरणबद्ध कटौती शुरू होने के साथ, चीन के विनिर्माताओं को बढ़े हुए उत्पादन और वित्तीय सहायता का लाभ मिला है।
- iii. भारत चरणबद्ध कटौती केवल 2032 में शुरू करेगा और उसे अभी तक ऐसी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। यह असमानता चीन के उत्पादकों को भारत में अनुचित कीमतों पर उत्पादों का पाटन करने में सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय उद्योग को नुकसान होता है, जिससे पाटनरोधी शुल्क की आवश्यकता तर्कसंगत है।
- iv. आर-134ए पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से कार एयर कंडीशनर जैसे अंतिम उत्पादों की कीमत पर नगण्य प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- v. आफ्टरमार्केट उपभोक्ता, जैसे कि सेकेंड-हैंड वाहनों के मालिक, आर-134ए का उपयोग कभी-कभार, आमतौर पर हर 2-3 साल में सर्विसिंग के दौरान, ही करते हैं, । पाटनरोधी शुल्क के कारण कीमत में वृद्धि होने पर भी, इन प्रयोक्ताओं पर प्रभाव न्यूनतम और कभी-कभार ही होगा।
- vi. आफ्टर-मार्केट के व्यापारियों को उच्च मार्जिन और लचीली कीमतों का लाभ मिलता है, जिससे वे मांग या लाभप्रदता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना लागत में मामूली वृद्धि को खपा सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। आर-134ए ऑटोमोबाइल जैसे डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कुल लागत का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। इसलिए, इस उत्पाद पर पाटनरोधी शल्क लगाने से समग्र उत्पादन लागत पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।
- vii. वर्तमान जाँच में केवल व्यापारियों ने भाग लिया है। आर-134ए के किसी भी वास्तविक उपयोगकर्ता ने प्रस्तावित पाटनरोधी उपायों में भाग नहीं लिया है या उनके बारे में चिंता व्यक्त नहीं की है। इससे पता चलता है कि डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर शुल्कों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
- viii. भारत में माँग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है, फिर भी आयात केवल कम कीमतों के कारण जारी है।
- ix. संबद्ध देश के उत्पादक केवल आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भारत के बाजार या उपभोक्ताओं के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का अभाव रखते हैं। वे बेहतर कीमतों की प्रस्ताव करने वाले अन्य बाजारों का रुख कर सकते हैं। इसके विपरीत, घरेलू आवेदक, स्थानीय स्तर पर आधारित होने के कारण, भारतीय उपभोक्ताओं के हितों को पूरा करने में अधिक निवेश करता है।
- x. उत्पाद का उपयोग वाहनों के एयर कंडीशिनंग और मुख्य रूप से ऑटो उद्योग में िकया जाता है। एक पास-श्रू क्षेत्र के रूप में, शुल्कों से लागत में वृद्धि उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना है, जिसका मांग पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। कीमत परिवर्तन अंतिम उपभोक्ता लागतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना आपूर्ति श्रृंखला में समाहित हो जाएँगे।
- xi. संबंधित देश से कम कीमत वाले आयातों के कारण आवेदक को वित्तीय घाटा हुआ है और आरओसीई कम हुआ है। पाटनरोधी शुल्क के बिना, आवेदक को प्रचालन बंद करना पड़ सकता है, जिससे कई नौकरियां और परिवार प्रभावित होंगे।

- xii. आवेदक ने सामाजिक पहलों पर 42 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से 4.6 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। इन प्रयासों को आर-134ए सहित इसके व्यावसायिक संचालन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। पाटित आयातों से लगातार होने वाले घाटे इन कल्याणकारी योगदानों के लिए ख़तरा बन रहे हैं, जिसकी भरपाई विदेशी निर्यातकों द्वारा किए जाने की संभावना नहीं है।
- xiii. पाटनरोधी शुल्क प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग को समर्थन देकर उपभोक्ताओं को लाभान्वित करते हैं जो उचित कीमत पर आपूर्ति और सुलभ बिक्री-पश्चात सेवा सुनिश्चित करता है। पिछले शुल्कों ने माँग-आपूर्ति के अंतर को पाटने और क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करने में मदद की थी।
- xiv. पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य अनुचित कीमत निर्धारण का मुकाबला करना और भारतीय बाज़ार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करना है, न कि आयातों को प्रतिबंधित करना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि भारत के औद्योगीकरण और आर्थिक मज़बूती के लिए पाटनरोधी कानून आवश्यक हैं।
- xv. आर-134ए, मुख्य रूप से वाहनों और घरों के लिए एसी गैस में उपयोग किया जाता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से कार की कीमतों में 0.01% से भी कम की वृद्धि होगी, और हर दो से तीन साल में केवल एक बार रिफिल की आवश्यकता होगी, जिससे लागत का प्रभाव नगण्य हो जाता है।
- xvi. पूर्ववर्ती जाँच के अनुसार, अकेले चीन में छह उत्पादक हैं, जबिक उत्तरी अमेरिका में लगभग 102 केटीपीए क्षमता है और यूरोपीय संघ और जापान में लगभग 20 केटीपीए क्षमता है। पाटनरोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करते बल्कि केवल उचित कीमत निर्धारण सुनिश्चित करते हैं।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 111. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, आयातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के रिकार्डों और हितों से संबंधित सूचनाओं पर विचार के आधार पर किया गया है।
- 112. प्राधिकारी ने आयातकों, उत्पादकों/निर्यातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है तािक वे वर्तमान जाँच के संबंध में संगत जानकारी प्रदान कर सकें, जिसमें पाटनरोधी शुल्क का उनके संचालन पर संभावित प्रभाव भी शािमल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग, स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, और उन कारकों के बारे में जानकारी माँगी जो पाटनरोधी शुल्क लगाने से उत्पन्न नई स्थिति के साथ समायोजन में तेजी ला सकते हैं या देरी कर सकते हैं।
- 113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः, पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः

- बहाल हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित नहीं करेंगे, और इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेंगे।
- 114. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होता है। आयात उचित मूल्यों पर होता रहेगा। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित मूल्यों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर बना रहे।
- 115. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस जाँच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग, डीआईआरए, विजय पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड और गुप्ता ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड ने आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग के अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रस्तावित पाटनरोधी उपायों का मात्रात्मक रूप नहीं बताया है। घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के निम्नलिखित प्रभाव का मात्रात्मक रूप बताया है।

क्र. सं.	कार एसी में आर-134ए	यूओएम	नीचला खंड	मध्यम खंड	उच्च खंड
1	औसत कार कीमत	रुपये	5,00,000	10,00,000	15,00,000
2	कार एसी में प्रयुक्त आर-134ए	किग्रा.	0.5	0.5	0.5
3	आर-134ए कीमत	रु./किग्रा.	305.55	305.55	305.55
4	एडीडी (लगभग)	अम डा./किग्रा	1	1	1
5	विनिमय दर	यूएसडी से आईएनआर	83.69	83.69	83.69
6	एडीडी	रु./किग्रा.	83.69	83.69	83.69
7	आर-134ए कीमत (एडीडी सहित)	रु./किग्रा.	389.24	389.24	389.24
8	अंतर	रु./किग्रा.	83.69	83.69	83.69
9	% प्रभाव	%	0.008%	0.004%	0.003%

- 116. यह देखा गया है कि प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर प्रभाव नगण्य है। जबिक अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योगों की उत्पादन लागत अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगी। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, केवल वक्तव्यों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- 117. आयातक एसोसिएशनों, अर्थात् डीआरआईए, ने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं, किंतु इसके किसी भी सदस्य ने पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव का दावा करते हुए प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। एसोसिएशनों ने प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के उपभोक्ताओं और आम जनता पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए कोई परिमाणित और सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान नहीं की है। अतः, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य जानकारी के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को सिद्ध नहीं किया है।

- 118. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पूर्व में पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि पूर्व में लागू शुल्कों के परिणामस्वरूप डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होता, तो वर्तमान जाँच में प्रयोक्ता उद्योग द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया होता।
- 119. इस अनुरोध के संबंध में कि चीन के उत्पादकों के पास आपूर्तिकर्ता प्रौद्योगिकी है, परिणामस्वरूप, चीन से आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाले हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने केवल वक्तव्य दिए हैं और अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग विभिन्न अन्य देशों को उत्पाद का निर्यात कर रहा है। यदि उत्पाद निम्न गुणवत्ता का होता, तो इसका अर्थ है कि उत्पाद प्रयोक्ताओं द्वारा अन्य देशों से आयात नहीं किया गया होता। अत:, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- 120. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि 2011-12 से 2013-14 तक मूल पाटनरोधी उपायों से पहले, घरेलू उद्योग की क्षमता *** मीट्रिक टन थी। 2011 में शुल्क लगाए जाने के साथ, उद्योग क्षित से उबर गया और अगले वर्षों में अपनी क्षमता बढ़ाकर *** मीट्रिक टन और 2020-21 तक *** मीट्रिक टन कर ली। इससे पता चलता है कि उद्योग पाटनरोधी उपायों के कारण निरंतर विस्तार करने में सक्षम रहा। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि अतीत में पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग के लिए क्षमता बढ़ाने, निवेश करने और विकास करने हेतु परिस्थितियाँ बनाने में प्रभावी रहा है। प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क में कोई तथ्य नहीं दिखाई देता है।
- 121. इस तर्क के संबंध में कि देश में आपूर्ति-माँग का अंतर होने के कारण प्रयोक्ता संबद्ध आयातों पर निर्भर करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दावे के विपरीत, जबिक उत्पाद की माँग *** मीट्रिक टन है, घरेलू उद्योग की क्षमता *** मीट्रिक टन है। इसलिए, यह तर्क तथ्यात्मक रूप से गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- 122. पाटनरोधी उपायों के लागू होने से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग और संबद्ध देश से आयात के अलावा, अन्य देशों से भी आयात होता है। घरेलू उद्योग में भारत की संपूर्ण माँग को पूरा करने की क्षमता है। इसलिए, भले ही शुल्कों का संबद्ध देश से आयात मात्रा में कमी का अनपेक्षित परिणाम हो, भारत में डाउनस्ट्रीम उद्योग की आपूर्ति समाप्त नहीं होगी।
- 123. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होता है। आयात उचित कीमतों पर होता रहेगा। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि आयातित वस्तुएं भारतीय बाजार में उचित कीमत पर प्रवेश करें तथा विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर बनाए रखा जाए।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 124. प्रकटन विवरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ दायर की गई हैं:
 - क. यदि प्राधिकारी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं, तो मानक शुल्क सबसे उपयुक्त होगा। मानक शुल्क लगाने से न केवल घरेलू उद्योग की रक्षा होती है, बिल्क निर्यातकों, आयातकों और अंतिम उपयोगिताओं के अधिकारों की भी रक्षा होती है।
 - ख. घरेलू उद्योग द्वारा सुरक्षा जांच के बावजूद पाटनरोधी उपायों को अपनाने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया, क्योंकि किगाली संशोधन के आलोक में यह अधिक उपयुक्त था।
 - ग. मौखिक सुनवाई के दौरान उठाए गए इस मुद्दे के बावजूद, घरेलू उद्योग ने अपनी 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में बताई गई लाभप्रदता के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
 - घ. ये नुकसान मुख्यतः निर्यात में कमी के कारण हुए हैं, जबिक घरेलू कारोबार का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसलिए, आयातों से क्षति का दावा निराधार है।
 - ङ. यह शुल्क ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग, रेलवे, मॉल, अस्पताल, हवाई अड्डे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे उपयोगकर्ता उद्योगों पर भारी प्रभाव डालेगा, क्योंकि उत्पाद का मुख्य रूप से केंद्रीय एयर कंडीशनिंग प्रणालियों में उपयोग किया जाता है, जिससे परियोजना लागत में सीधे तौर पर वृद्धि होती है।
 - च. मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण, चीन जनवादी गणराज्य से आयात मूल्य 2024 में तेज़ी से बढ़कर 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम से 4.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम हो जाएगा। शुल्क लगाने से कीमतें और भी बढ़ जाएँगी, जिससे उपयोगकर्ता उद्योग को गंभीर नुकसान होगा और यह अंतर और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि घरेलू उत्पादक डाउनस्ट्रीम उपयोगिताओं को पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाएँगे और आयात अफोर्डेबल नहीं रह जाएगा।
 - छ. घरेलू उद्योग घरेलू मांग को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता है, और शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उपयोगिताओं की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचेगा तथा एकाधिकार की स्थिति पैदा होगी।
 - ज. प्रस्तावित उपायों के वास्तविक प्रभाव से उपयोगकर्ता खंड के आधार पर कीमतों में [20-35%] की वृद्धि होगी।
 - झ. पाटनरोधी शुल्क लगाना नुकसानदेह होगा। आर-134ए एक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है जिसका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में होता है, और अतिरिक्त शुल्क से डाउनस्ट्रीम उद्योगों की लागत बढ़ जाएगी।
 - ञ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता की जाँच या समाधान नहीं किया है। ऐसी जाँच के बिना, एनसीवी याचिका को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है, जिससे यह मामला अत्यधिक गोपनीयता के कारण समाप्त किए जाने योग्य हो जाता है।
 - ट. घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए आयात आंकड़ों की प्रकटन विवरण में जाँच नहीं की गई है। ऐसी जाँच के अभाव में, इन आंकड़ों को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है, और यह मामला समाप्त करने योग्य है।
 - ठ. औसत नियोजित पूंजी और भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- 125. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ दर्ज की गई हैं:
 - वीन के उत्पादकों के पास पर्याप्त अधिशेष क्षमता है, जो चीन और भारत दोनों की घरेलू मांग से कहीं अधिक है।
 - b. यूएसआईटीसी (2022) ने उल्लेख किया कि किगाली संशोधन के तहत, चीन का एचएफसी उत्पादन कम से कम 2024 तक अप्रतिबंधित रहेगा, जो काफी क्षमता वाले एक बड़े उद्योग का संकेत देता है।
 - c. पिछली जाँच में यह भी माना गया था कि चीनी उत्पादकों के पास भारतीय माँग से कई गुना ज़्यादा अप्रयुक्त क्षमता है, जिसे पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर भारत में भेजा जा सकता है। जहाँ पहले की जाँच में क्षमता भारतीय माँग से 8 गुना ज़्यादा बताई गई थी, वहीं अब यह बढ़कर 17 गुना हो गई है।
 - d. प्राधिकारी द्वारा स्थापित कारक स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होती है।
 - e. भारत, जिसे ग्रुप 2 देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, का आधार वर्ष 2024-2026 है और चरणबद्ध कटौती 2032 में ही शुरू होगी। इसलिए भारत अभी तक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं है, और घरेलू उद्योग ऐसी सहायता के बिना ही काम कर रहा है। यह स्थिति असंतुलन पैदा करती है क्योंकि चीनी उत्पादक पहले से ही वित्तपोषण से लाभान्वित हो रहे हैं।
 - f. चीन जन.गण. से आने वाले आर134ए पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस उत्पाद का उपयोग वाहन एयर कंडीशिनंग सिर्विसिंग के लिए कभी-कभार ही किया जाता है, आमतौर पर 2-3 वर्ष में एक बार। मामूली कीमत वृद्धि के बावजूद, अंतिम उपयोगिताओं और व्यापारियों पर इसका प्रभाव न्यूनतम होगा।
 - g. व्यापारी अच्छे मार्जिन के साथ काम करते हैं और मांग को प्रभावित किए बिना लागत में होने वाले छोटे बदलावों को सहन कर सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। पर्याप्त घरेलू क्षमता और उचित व्यापार वाले आयातों तक पहुँच के साथ, बाजार की आपूर्ति स्थिर रहेगी।
 - h. अनुरोध है कि पांच वर्ष के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाए, क्योंकि इससे कम अविध में घरेलू उद्योग को क्षति से उबरने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।
 - ं। लागत और कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण एक निश्चित प्रकार का पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए। बेंचमार्क शुल्क भी उचित नहीं है, क्योंकि देश में मांग-आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

126. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन-पश्चात किए गए अनुरोधों की जाँच की है। यह पाया गया है कि इनमें से अधिकांश अनुरोध उन तर्कों और तर्कों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही जाँच की जा चुकी है और इन अंतिम जांच परिणामों के प्रासंगिक अनुच्छेदों में आवश्यकतानुसार उनका समाधान किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा

प्रासंगिक माने गए मुद्दों की नीचे जाँच की गई है। कोई भी अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोधों की प्रतिलिपि मात्र थीं और जिनकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जाँच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराई नहीं गई हैं।

- 127. शुल्कों के तरीके के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संदर्भ-मूल्य आधारित शुल्क लगाने से एक स्थिर मूल्य निर्धारण ढाँचा उपलब्ध होता है, जिससे घरेलू उत्पादकों और आयातकों, दोनों को अधिक पूर्वानुमानितता के साथ कार्य करने की अनुमित मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि उपचारात्मक उपाय आनुपातिक हों और पाटन/क्षित का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक सीमा से अधिक आयातों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित न करें। सावधानीपूर्वक जाँच के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संदर्भ-मूल्य आधारित शुल्क, विषयगत जाँच के तथ्यात्मक ढाँचे में शुल्कों का सबसे उपयुक्त रूप है।
- 128. इस टिप्पणी पर कि वर्तमान जाँच सुरक्षा जाँच के लिए उपयुक्त है, वर्तमान जाँच में स्थापित तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद भारत को सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर निर्यात किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ और इससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सुरक्षा उपाय अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हाल की अविध में उचित मूल्य वाले आयातों में अचानक, तीव्र और महत्वपूर्ण वृद्धि की स्थिति से निपटने के लिए हैं। वर्तमान मामले में, आयातों का मूल्य अनुचित रूप से निर्धारित किया गया है, अर्थात, उचित मूल्य पर नहीं बिल्क पाटित मूल्यों पर। जब माल का उत्पादन कई देशों में होता है, तब भी वर्तमान डंपिंग केवल चीन से ही हो रही है। वास्तव में, 2022-23 में वृद्धि के बाद, जाँच अविध में आयात में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति भौतिक है, और इसे गंभीर नहीं कहा जा सकता। घरेलू उद्योग के मात्रा मापदंडों में सुधार हुआ है और प्रदर्शन में गिरावट केवल मूल्य मापदंडों में है। प्राधिकरण का मानना है कि केवल इस तथ्य से कि हाल की अविध में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, अपने आप में यह नहीं माना जा सकता कि सुरक्षा उपाय लागु किए जाने चाहिए।
- 129. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग को होने वाला घाटा निर्यात निष्पादन के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जाँच में क्षित का आकलन विशेष रूप से घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन घरेलू परिचालनों से संबंधित मानदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि निर्यातों के आधार पर। निर्यात बाजार के आंकड़ों की जाँच से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने अमेरिका, यूएई और ताइवान आदि को बिक्री सहित निर्यातों से पर्याप्त लाभ दर्ज किया है। घरेलू उद्योग का निर्यात कारोबार प्रतिस्पर्धी और लाभदायक बना हुआ है। घरेलू बाजार में विपरीत निष्पादन घाटे को दर्शाता है। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू बाजार में निष्पादन निर्यात परिचालनों से प्रभावित हुआ है।
- 130. चूँिक आर-134ए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, इसिलए पाटनरोधी शुल्क लगाना हानिकारक होगा, इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य घरेलू उद्योग को अनुचित मूल्य पर पाटित किए गए आयातों से होने वाली क्षिति को दूर करना और समान अवसर बहाल करना है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर अत्यधिक लागत का बोझ डालने के बजाय, पाटन के कारण उत्पन्न बाजार विकृतियों को ठीक करने की प्रवृत्ति होगी। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि वर्तमान जाँच में भाग लेने वाले किसी भी

प्रयोक्ता ने लागत में वृद्धि को आगे बढ़ाने में अपनी असमर्थता प्रदर्शित नहीं की है। यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव अंतिम उपभोक्ता पर 1% से कम है। जबिक डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव कम है, यह घरेलू बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करने में मदद करेगा।

- 131. इस तर्क पर कि औसत नियोजित पूंजी और भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है, लेकिन क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है, प्राधिकारी ने औसत नियोजित पूंजी और मजदूरी की जाँच की है और पाया है कि ये घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुरूप हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी इकाई की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएँ केवल किसी विशेष उत्पाद के उत्पादन के पैमाने पर निर्भर नहीं होती हैं। शुद्ध अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि का तात्पर्य आवश्यक रूप से उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं है, क्योंकि अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अन्य आवश्यक घटकों से संबंधित हो सकता है, जो क्षमता में वृद्धि नहीं करते हैं।
- 132. नियोजित पूँजी में शुद्ध अचल संपत्तियाँ और कार्यशील पूँजी शामिल होती हैं। वर्तमान मामले में, जबिक बिक्री के स्तर अलग-अलग हैं, कार्यशील पूँजी की आवश्यकताएँ भुगतान और प्राप्य नीतियों, इन्वेंट्री, कच्चे माल की खरीद और अल्पकालिक वित्तपोषण आदि जैसे कई कारकों से प्रभावित होती हैं, और किसी भी उत्पाद की क्षमता से सीधे जुड़ी नहीं होती हैं। इसलिए, नियोजित पूँजी में परिवर्तन को किसी उत्पाद की क्षमता से जोड़ना उचित नहीं है।

ड. निष्कर्ष

- 133. उपर्युक्त जांच परिणामों में दर्ज हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और घरेलू उद्योग के साथ पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:
 - क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद आर-134ए है, जिसे टेट्राफ्लोरोइथेन , जेनेट्रोन 134ए, सुवा 134ए, एचएफसी-134ए, एचएफए-134ए और नॉरफ्लुरेन के नाम से भी जाना जाता है ।
 - ख. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सभी प्रकार के 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोएथेन या आर-134ए शामिल हैं, चाहे वे पैक किए गए हों या अनपैक्ड। हालाँकि, सीजीएमपी अनुमोदित फार्मास्युटिकल ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
 - ग. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-फार्मा (अर्थात औद्योगिक ग्रेड) और गैर-सीजीएमपी फार्मा ग्रेड के बीच प्राथमिक अंतर शुद्धिकरण की डिग्री तक ही सीमित है।
 - घ. किगाली संशोधन के तहत, अनुच्छेद 5 के देशों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। समूह 1 के अंतर्गत आने वाले चीन को कैलेंडर वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान औसत उत्पादन और खपत के आधार पर 2029 में चरणबद्ध कटौती शुरू करनी होगी। इसके विपरीत, समूह 2 के अंतर्गत आने वाले भारत के लिए 2024, 2025 और 2026 की एक आस्थगित आधार अविध निर्धारित की गई है, जिसमें कटौती दायित्व 2032 से शुरू होंगे।
 - ङ. अपनी आधारभूत अविध (2022) के अंतिम वर्ष में, चीन ने अपने आधारभूत आँकड़ों को बढ़ाने के लिए आर-134ए का उत्पादन काफ़ी बढ़ा दिया, जिससे उसे चरणबद्ध कटौती वाले वर्षों के दौरान अनुमत

उत्पादन का उच्च स्तर बनाए रखने में मदद मिली। 2022-2023 के दौरान, भारत ने चीन से आयात में तीव्र और अभूतपूर्व वृद्धि देखी। यह वृद्धि आधारभूत अविध के अंतिम वर्ष में उत्पादन को अधिकतम करने के उद्देश्य से की गई थी, जिससे किगाली ढाँचे के तहत चीन के भविष्य के अनुमत उत्पादन स्तर में वृद्धि हो सके।

- च. चीन ने 2029 से शुरू होने वाले चरणबद्ध उत्पादन वर्षों के दौरान अनुमेय उत्पादन का एक उच्च स्तर प्रभावी रूप से सुरक्षित कर लिया है। यदि शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो यह बढ़ा हुआ उत्पादन संभवतः भारतीय बाज़ार में स्थानांतरित हो जाएगा। संबंधित देश से आयात की कीमतें पहले से ही बिक्री लागत और घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हो रही है। भविष्य में अनुमेय उत्पादन के उच्च स्तर को सुरक्षित करके, चीनी उत्पादक पाटित की गई कीमतों पर आपूर्ति जारी रखने की क्षमता बनाए रखते हैं, जिससे अतिरिक्त वैश्विक क्षमता भारत में स्थानांतरित हो जाती है।
- छ. यह आवेदन एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। कुल भारतीय उत्पादन में घरेलू उद्योग का योगदान 100% है।
- ज. प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(बी) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है तथा उनका मानना है कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।
- झ. घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को हुई सामग्री क्षति, संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद की पाटन के कारण हुई है।
- ञ. देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है, घरेलू उद्योग के पास देश की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।
- ट. पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देश से आयात पर किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं लगता है।
- ठ. पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करेगा कि आयात उचित कीमत पर भारतीय बाजार में प्रवेश करें तथा विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर बनाए रखा जाए। पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनिहत के विरुद्ध नहीं होगा।

ढ. सिफारिश

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच शुरू की गई थी और सभी संभावित हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षित और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षित और कारणात्मक संबंध की जाँच शुरू करने और उसका संचालन करने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षित की भरपाई के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

135.

प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियमों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच अवधि के लिए इन निष्कर्षों में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षित मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, तािक घरेलू उद्योग पर पािटत आयातों के हािनकारक प्रभावों को दूर किया जा सके। मामले के तथ्यात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, और प्रदान की गई जानकारी तथा इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, पाटनरोधी शुल्कों के मानक/संदर्भ स्वरूप की सिफारिश करना उचित समझा जाता है। तदनुसार, विषयगत देश में मूलतः या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष (5) की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क का संदर्भ स्वरूप लगाने की सिफारिश की जाती है। पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नीचे दी गई शुल्क तािलका के कॉलम 3 में वर्णित विषयगत वस्तुओं के पहुँच मूल्य और नीचे संलग्न शुल्क तािलका के कॉलम 7 में दर्शाई गई संदर्भ रािश के बीच के अंतर के रूप में की जाती है, बशर्ते पहुँच मूल्य कॉलम 7 में दर्शाए गए मूल्य से कम हो। यदि पहुँच मूल्य कॉलम 7 में दर्शाए गए मूल्य से अधिक है, तो प्रति-डंपिंग शुल्क लागू नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुँच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3ए, 8बी, 9 और 9ए के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, लागू सीमा शुल्कों का स्तर होगा।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्रसं.	शीर्ष	त्यन का	उद्गम का	निर्यात का	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
अग्त.		वस्तु का			उत्पादक 	राक्ष	यूजाएम	मुद्रा
	/उप शीर्ष	विवरण	देश	देश				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2903 45 00	1,1,1,2- टेट्रोफ्लोरोइथेन या आर-134ए	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोईदेश	शानक्सी सिनोकेम लांटियन न्यू केमिकल मटेरियल कंपनी लिमिटेड	4439	एमटी	अम.डा.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	दि सिनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (टाइकांग) कंपनी लिमिटेड	4423	एमटी	अम.डा.
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	शानडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड	4508	एमटी	अम.डा.
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	झेजियांग सैनमेई केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड और जियांग्सू सैनमेई केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड	4581	एमटी	अम.डा.
5	-वही-	-वही-	चीन	चीन	रुयुआन	4583	एमटी	अम.डा.

			जन.गण.	जन.गण. सहित कोई देश	डोंगयांगगुआंग फ्लोरीन कंपनी लिमिटेड			
6	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	जिबो फेईयुआन कैमिकल कं. लि.	4558	एमटी	अम.डा.
7	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. सहित कोई देश	चीन जन.गण.	क्र. सं. 1 से 6 के अलावा अन्य कोई उत्पादक	5251	एमटी	अम.डा.
8	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. के अलावा कोई देश	चीन जन.गण.	कोई उत्पादक	5251	एमटी	अम.डा.

ण. आगे की प्रक्रिया

136. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

Case No. AD (O.I.) 28/2024

New Delhi, the 26th September, 2025

<u>Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "1,1,1,2- Tetrafluoroethane or R-134a" originating in or exported from China PR.</u>

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/30/2024-DGTR - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Anti-Dumping Rules" or "the Rules") thereof

- a. The Designated Authority (hereinafter referred to as 'Authority') received an application filed on behalf of the domestic industry by SRF Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or "domestic industry") seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "1,1,1,2- Tetrafluoroethane or R-134a" (hereinafter referred to as "product under consideration" or "PUC" or "subject goods"), from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").
- b. The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the domestic industry, issued a public notice vide Notification No. 6/30/2024-DGTR dated 27th September 2024, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

- 1. The procedure described hereinbelow has been followed with regard to the investigation:
- i. In accordance with Rule 5(5), prior to initiation of the investigation, the Authority notified governments of the subject country through their embassy in India about the receipt of the present anti-dumping application.
- ii. As noted above, upon examination of the application, the Authority found prima facie evidence of dumping and consequent injury. Therefore, in accordance with Rules 5 and 6, vide Notification F. No. 06/30/2024 DGTR dated 27th September 2024 ('Initiation Notification'), the Authority initiated the present proceedings.
- iii. As noted in the initiation notification, the period of investigation ('POI') was considered as 1st April 2023 to 31st March 2024. The injury period was set to cover the years 2020-21, 2021-22. 2022-23 and the period of investigation.
- iv. A request was made to the DG system transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis after due examination of the transactions.
- v. In accordance with Rule 6(2), the Authority informed interested parties of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassies of the subject countries in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject countries, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.
- vi. In accordance with Rule 6(3), the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the governments of the subject countries through their embassies in India, known exporters of the subject imports and to other interested parties who requested in writing for a copy of the application.

vii. In accordance with Rule 6(4), the Authority issued questionnaires to the following producers and exports to seek information regarding the normal value and net export price for the investigation.

SN	Name of producers/exporters in the subject country
1	Ace Prosper Corporation
2	Beijing Straget Chemicals Co., Ltd.
3	Daikin Arkema Refrigerants Asia Limited
4	Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd.
5	Dongyang Weihua Refrigferants Co. Ltd.
6	Jiangxi Lee & Man Chemical Limited
7	Liaocheng Ruijin (Hong Kong) Co., Limited
8	Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co., Limited
9	Lu Xi Group (Hong Kong) Co. Limited
10	Ninhua Group Co., Ltd.
11	Sc Ningbo International Ltd
12	Shandong Huaan New Material Co. Ltd.
13	Sinochem Environmental Protection Chemical (Taicang) Co. Ltd.
14	Sinochem Lantian Fluoro Materials Co. Ltd.
15	The Chemours 3F Fluorochemical S (Changshu) Co., Ltd.
16	The Chemours Chemical (Shanghai) Co. Ltd.
17	Zhejiang Fotech International Co
18	Zhejiang Orient Multitex I/E Co., Ltd
19	Zhejiang Quhua Fluor-Chemistry Co., Ltd
20	Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co. Ltd
21	Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co. Ltd.
22	Zhejiang Sanmei Chemical Ind Co. Ltd.
23	Zhejiang Yonghe Refrigerants Co., Ltd.
24	Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd

- viii. The Authority sent questionnaires to the governments of the subject countries through their embassies in India. The governments of the subject countries were requested to forward the Initiation Notification and the questionnaires to the producers of the subject goods in their respective countries and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- ix. In response to the above, the following producers/exporters from the subject country have responded and filed exporter's questionnaire response:

SN	Name of producers/exporters in the subject country
1	Hongkong Eagle Machinery & Technology Company Limited
2	Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Company Limited
3	Ruyuan Dongyangguang Fluorine Company Limited
4	Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Company Limited
5	Shandong Dongyue Refrigerants Company Limited

6	Sinochem Environmental Protection Chemicals (TAICANG) Company
0	Limited
7	Sinote Chemicals Company Limited
8	The Chemours Chemical (Shanghai) Company Limited
9	Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Company Limited

x. In accordance with Rule 6(4) of the Rules, the Authority also sent questionnaire to the following known importers/users of the product under consideration in India calling necessary information:

SN	Name of users/importers in India
1	Ajay Air Products (P) Limited
2	Borgwarner India Private Limited
3	Coolmate Refrigerants Private Limited
4	Gorakhram Haribux
5	Gujarat Fluoro Chemicals Limited
6	Gupta Oxygen Limited
7	Helious Specialty Gases Private Limited
8	Hitachi Astemo Brake Systems India Private Limited
9	Kiro Refrigerants Private Limited
10	KPL International Limited
11	Mangali Petrochem Limited
12	Mihama India Private Limited
13	MPCL Industries Limited
14	Navin Fluorine International Limited
15	Refex Industries Limited
16	Sikelan Chemicals India Private Limited
17	Stallion Enterprises
18	Stallion India Fluorochemicals Private Limited
19	The Chemours India Private Limited
20	Value Refrigerants Private Limited
21	Vijay Petrochem Private Limited

xi. In response to the above notification, the following importers and users have registered in the present investigation and have made submissions:

Ī	SN	Name of users/importers in India
Ī	1	Gupta Oxygen Limited
Ī	2	Vijay Petrochem Private Limited

xii. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to assess public interest and impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was sent to the embassy of each subject country, all the known exporters, importers and users and the domestic industry. The EIQ was also shared with the administrative line ministry. Economic interest questionnaire was filed by the domestic industry, Gupta Oxygen

- Limited, Vijay Petrochem Private Limited and Domestic Refrigerant Importers Association.
- xiii. Submission has also been made by the Domestic Refrigerant Importers Association (DRIA), and these have been considered in the present final finding. DRIA has circulated their non-confidential submission with the other interested parties.
- xiv. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.
- xv. The interested parties were granted an opportunity to present comments on the scope of the product under consideration and propose PCNs, if required, within 15 days from the date of the initiation. Subsequently, the initial timeline to make comments was extended till 19th October 2024. Apart from the domestic industry, no comments have been made by any other interested parties regarding the scope of the PUC or proposal for PCNs. Based on submissions, the Authority clarified and notified the PCN on 12th November 2024.
- xvi. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 8th July 2025. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xvii. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- xviii. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide a non-confidential summary of the information filed on confidential basis.
- xix. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.
- xx. The Authority calculated the non-injurious price (NIP) for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the domestic industry. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).
- xxi. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they

- were supported by evidence and considered relevant to the present purposes, in making the final findings.
- xxii. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 19th September 2025 and the interested parties were allowed time to comment on the same. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, non-repetitive and supported with evidence in this final findings notification
- xxiii. *** represents information furnished by a party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiv. The exchange rate adopted by the Authority for the present investigation is 1\$ = Rs 83.69.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE.

- 2. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:
 - "3. The product under consideration in the present application is 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-l34a of all types, whether packed or unpacked. cGMP approved pharma grade is excluded from the scope of product under consideration.
 - 4. R-134a is also known as Tetrafluroethane, Genetron 134a, Suva 134a or HFC-134a, HFA-134a and Norflurane. It is a haloalkane refrigerant with thermodynamic properties similar to R-12 (dichloroditluoromethane), but without its ozone depletion potential. It has the formula CH2FCF3 and a boiling point of -26.3 °C (-15.34 °F).
 - 5. The product is primarily used as high temperature refrigerant for automobile air conditioners. It is also used in plastic foam blowing, as a cleaning solvent and as a propellant for the delivery of pharmaceuticals, gas dusters and in air driers, for removing the moisture from compressed air.
 - 7. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under the sub-headings 29034500. Prior to 2021-22, the product under consideration was classifiable under 29033919. The product was also imported under 29033990. The customs classification for the product has undergone a change and is now classifiable and majorly imported under the HS code 29034500. The product has also been imported in small volumes in the HS code 29034300. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the investigation."

C.1 Submissions made by interested parties.

- 3. The interested parties have made the following submissions with respect to the product under consideration and like article:
 - i. Non-cGMP pharma grade and non-pharma (industrial) grade of R-134a differ significantly in technical specifications, end-use applications, and pricing.

- ii. Non-cGMP pharma grade is purer, more costly, and used in critical medical products like inhalers, whereas the industrial grade is used in refrigeration and air conditioning.
- iii. There is a need for framing separate PCN for Non-cGMP pharma grade and non-pharma (industrial) grade.
- iv. The pharma grade and non-pharma grade R-134a are distinct in characteristics, uses, cost, and selling prices. The pharma grade sells at almost double the non-pharma price; hence they cannot be treated under the same PCN

C.2 Submissions made by domestic industry.

- 4. The domestic industry has made the following submissions with respect to the product under consideration and like article:
 - i. The product under consideration is R-134a. The scope of the product includes all types of R134A, except for cGMP-approved pharma grade.
 - ii. The product produced by the domestic industry and the imports from China are comparable in all technical and commercial aspects and are used interchangeably by consumers. Thus, they qualify as like articles under anti-dumping rules.
 - iii. None of the interested parties filed comments on the scope of the product under consideration.
 - iv. Sinochem and Shaanxi Sinochem have for the first time at the stage of oral hearing requested for separate PCNs for Pharma and Non-Pharma grades. However, no prior submission was made.
 - v. The email from the legal representatives sharing non-confidential submissions does not contain any comments on the PUC-PCN. Despite objection raised of belated submission during the oral hearing, the interested party did not claim timely filing.
 - vi. A mere price difference between non-cGMP pharma grade and industrial grade R-134a does not justify separate PCNs, as both grades have similar production costs, with only minor purification differences adding well below the 5% threshold.
 - vii. The other interested parties have not quantified cost difference. The other interested parties have not even claimed that they have exported pharma grade R-134a.
 - viii. Since the only difference between the two grades lies in the degree of purification (primarily drying), the cost difference is minimal.

C.3 Examination by the Authority

- 5. The product under consideration was defined in the initiation notification as below.
 - 3. The product under consideration in the present investigation covers all types of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a, whether packed or unpacked. However, cGMP approved pharmaceutical grade is excluded from the scope of product under consideration.
- 6. The initiation notification invited all interested parties to file their comments on the product scope and PCN methodology within 15 days from the initiation notification, which was extended upon the request of the parties.

- 7. Vide notice dated 12th November 2024, the Authority decided to proceed the investigation with the PCNs and the PUC as per the initiation notification.
- 8. The product under consideration in the present investigation is R-134a, which is also known as Tetrafluoroethane, Genetron 134a, Suva 134a, HFC-134a, HFA-134a and Norflurane. R134A is a haloalkane refrigerant with thermodynamic properties similar to R-12 (dichloroditluoromethane), but without its ozone depletion potential. It has the formula CH2FCF3 and a boiling point of -26.3 °C (-15.34 °F).
- 9. The product is primarily used as high temperature refrigerant for automobile air conditioners. It is also used in plastic foam blowing, as a cleaning solvent and as a propellant for the delivery of pharmaceuticals, gas dusters and in air driers, for removing the moisture from compressed air.
- 10. The product belongs to the broad category of Hydrofluorocarbons and is governed by Kigali Amendment. Hydrofluorocarbons are potent greenhouses gases in nature, and they are known to cause significant contributions to climate change by trapping heat in the atmosphere. The Kigali Amendment to the Montreal Protocol is a global agreement that aims to phase down the production and consumption of hydrofluorocarbons (HFCs), including HFC-134a (R134a). The Kigali Amendment mandates a phasedown of hydrofluorocarbons (HFCs). The amendment aims to prevent significant global temperature increases by reducing the consumption of HFC's. Under the agreement, the parties (countries) are required to gradually reduce their consumption of HFC's gas within the specific time frame. The average annual production of HFCs during the three-year base line will serve as the reference point or benchmark level for measuring subsequent reductions.
- 11. The phasedown schedule is divided into two groups with different baseline years depending on the nature of the country.
 - a. For developed countries such as China, the phasedown schedule with the baseline period of 2020-2022, with reductions commencing in 2029.
 - b. For developing countries like India, the phasedown schedule is based on a baseline period of 2024-2026, with reductions starting in 2032.
- 12. In the manufacturing of the product under consideration, first trichloroethylene is reacted with hydrogen fluoride to produce 1,1,1-trifluoro-2-chloroethane (also known as R133a). Then, the R133a is reacted with more hydrogen fluoride to produce R134a. The R134a is then purified, often using distillation columns and zeolite adsorption, before being stored
- 13. None of the interested parties have filed comments on the scope of the product under consideration. Therefore, the Authority concludes with the scope of the product under consideration as

All types of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a, whether packed or unpacked. However, cGMP approved pharmaceutical grade is excluded from the scope of product under consideration.

- 14. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 2903 45 00. Prior to 2021-22, the product was classified under heading 2903 39 19 and was also imported under heading 2903 39 90. The customs classification for the product has subsequently changed to 2903 45 00.
- 15. The Government of India vide notification no 59/2015-2020 dated 9th March 2022 has made imports under HS code 2903 45 00 as restricted imports. The import of the product requires license. While the imports of the product are regulated, any user can import the product through a license.
- 16. Based on the DG System transaction-wise import data obtained by the Authority, it is seen that the product has been imported under the classification 2903 45 00. It is also noted that the customs classification is indicative only and in is no way binding on the scope of the present investigation.

i. Like article.

17. The product under consideration, produced by the domestic industry and imported from the subject country, is comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable, and consumers can use them interchangeably. None of the interested parties have disputed that the product under consideration is a like article to the imported product. It is therefore proposed to be considered that the goods produced by the domestic industry are like articles to the product under consideration imported from the subject country.

ii. PCN methodology.

18. The PCN methodology adopted in the initiation notification and the PUC-PCN clarification notice is as below: -

PUC	PCN	Code
1, 1, 1,2-Tetrafluoroethane or R- I 34a	Packed	P
	Unpacked	U

19. In the written submissions, the other interested parties requested creation of separate PCNs for the non-Pharma (i.e., Industrial grade) and non-cGMP Pharma grade, citing differences in technical properties, end-use applications, and selling prices. The Authority notes that the primary distinction between the two grades is confined to the degree of purification. The interested parties have not provided information on the difference in cost of the two grades. The domestic industry has claimed that the cost difference between the two grades is

minimal and does not meet the 5% threshold prescribed for creating separate PCNs. Sinochem Environmental Protection Chemicals (TAICANG) Co. Ltd. And Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Co. Ltd have reported only 13 MT of the non-cGMP Pharma grade during the period of investigation, it is miniscule. In view of the above, the Authority has considered the same PCN methodology as notified in the PUC-PCN notice.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made by other interested parties

20. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and its standing.

D.2 Submissions made by the domestic industry.

- 21. The domestic industry has made the following submissions with respect to the domestic industry and standing:
 - i. The present application has been filed by SRF Limited, who is the sole producer of the like article in India.
 - ii. The domestic industry has neither imported the product from the subject country nor related to any producers/exporters from the subject country or importer in India.

D.3 Examination by the Authority

- 22. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as below:
 - "(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be constructed as referring to the rest of the producers."
- 23. The application has been filed by SRF Limited. The applicant is not related to any importer in India or producers/exporters of the product under consideration in the subject country and has not imported the product under consideration from the subject country during the period of investigation.
- 24. The applicant is the sole producer of the like article in India. The domestic industry accounts for 100% of the total Indian production. The domestic industry accounts for a major proportion in the Indian production of the like article.

25. The Authority concludes that the applicant constitutes domestic industry under rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY AND MISCELLANOUS SUBMISSIONS.

E.1 Submissions made by other interested parties.

- 26. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality.
 - i. The non-confidential version of the application lacks essential details such as evidence for export price adjustments, PCN-wise export price and costing data, market share trends, injury parameters like price underselling and injury margin. Key figures such as profit/loss and ROCE have also been kept confidential without legitimate basis.
 - ii. The domestic industry has claimed excessive confidentiality violates Trade Notice No. 10/2018 by not disclosing manufacturing process details, raw material names, normal value in the application, sales value captive consumption, sales realization per unit for exports and captive consumption, cost of sales per unit for exports and non-injurious price calculations.
 - iii. The domestic industry has used import data based on its own market intelligence report, which does not appear to be representative or reliable.
 - iv. The import data relied upon by the domestic industry is sourced from a private market intelligence report and not from the official DGCI&S database, rendering it unreliable and unauthentic. The Authority should solely rely on DGCI&S data for assessing dumping and injury.
 - v. The complete import data has not been disclosed, contrary to the legal provisions and the Trade Notices No. 1 of 2013 and No. 2 of 2004 issued by the Authority, which require the domestic industry to provide such data to all interested parties.
 - vi. The domestic industry appears to be a habitual user of trade remedy. The domestic industry is attempting to take undue advantage of anti-dumping measures for its own benefit.

E.2 Submissions made by the domestic industry

- 27. The domestic industry has made following misc. submissions:
 - i. The domestic industry has provided PCN-wise export prices and evidence of ocean freight from China to India in the NCV application.
 - ii. Cost components such as marine insurance, bank charges, port expenses, inland freight, handling charges, and commissions are proprietary and thus adjusted on the basis of estimates,
 - iii. The costing data and the injury margin on the basis of NIP are confidential and cannot be disclosed. The trends of injury parameters, including profit and ROCE, have been disclosed as per trade notice.

- iv. The claims made by the other interested parties regarding excessive confidentiality are belated and should be rejected, as no comments were filed within the 7-day timeline prescribed in the initiation notification.
- v. Most factors cited by respondents are outside the prescribed injury statement and not considered in the examination. Normal value and non-injurious price were already disclosed in the NCV application.
- vi. As regards submission on disclosure of import data, the domestic industry relied on market intelligence which is paid data. Such data is proprietary and cannot be disclosed.
- vii. Trade Notices No. 1/2013 and No. 2/2004 cited by the respondent do not require disclosure of the entire import data. Trade Notice 07/2018 allows interested parties to obtain DGCI&S import data directly from the Authority. The domestic industry is not obliged to provide both sorted and unsorted data.
- viii. Domestic Refrigerant Importers Association (DRIA) has failed to qualify as an interested party under Rule 2(c)(i) of the Anti-Dumping Rules, as it has not substantiated that a majority of its members are actual importers of the subject goods.
- ix. DRIA has also not fulfilled key requirements, such as submitting registration documents, member lists, authorizations, or internal resolutions required to justify its role. The non-compliance undermines its credibility and violates the principle of natural justice.
- x. Neither the Customs Tariff Act, the Anti-Dumping Rules, nor the WTO Agreement limits the number of times a domestic industry may seek relief against unfair imports.
- xi. In past investigations, the Authority consistently found Chinese producers engaged in dumping and imposed duties only after confirming injury.
- xii. The domestic industry manufactures 80–90 products across multiple businesses, including around 20 in Fluorochemicals alone, yet has not sought remedies for other products.
- xiii. The domestic industry has consistently remained a competitive and reliable supplier in both domestic and international markets, with strong export profitability, including exports to the United States.
- xiv. The imposition of anti-dumping duties by other countries on Chinese HFC producers has no bearing on the present investigation.
- xv. The claim of low-priced imports in the post-period of investigation are irrelevant, as such imports are not considered in this investigation.
- xvi. DRAI has been timely made submission of Economic Interest Questionnaire Response with required association documents. Hence, the party falls well within the definition of an interested party for a subject investigation.
- xvii. The domestic industry has not addressed the claim of the interested party that injury is more in the nature of a safeguard situation arising out of an unforeseen development, the Kigali Amendment, rather than a case of dumping.
- xviii. Domestic industry has neither disclosed transaction-wise import data nor provided any credible explanation with figures to substantiate their claims.

E.3 Examination by the Authority

- 28. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 01/2020 (as extended by the Authority till further notice).
 - "Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) ofrule12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.
 - (2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.
 - (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."
- 29. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties concerning confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. With regard to the contention that the domestic industry has claimed excessive confidentiality under Trade Notice 10/2018, the submissions made by the other interested parties have been examined. The Authority notes that while the domestic industry has claimed certain information as confidential, vide its letter dated 8th August 2025, disclosed all necessary information as alleged by the other interested parties. The Authority notes that for the other information, considered as business sensitive, reasonable justification has been furnished.
- 30. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential versions of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

- 31. The interested parties have contended that the domestic industry has relied on unreliable import data. The Authority has relied on the DG System transaction wise data for the purpose of present investigation.
- 32. As regards the contention that the domestic industry is a habitual user of trade remedy measures, the Authority notes that as per Section 9(A)(5), there is no bar on the number of times domestic industry can seek redressal from unfair trade practices of the foreign producers/exporters or no bar on the number of times anti-dumping duty can be imposed. The Authority notes that in an anti-dumping investigation, the primary mandate of the Authority is to assess whether remedial measures are required in light of dumped imports and consequent injury to the domestic industry. The anti-dumping duty can be imposed for a period as long as necessary to counteract dumping and injury. The recommendations for the imposition of the anti-dumping duty are made only after investigation by the Authority and when the requisite legal requirements are met.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F. 1 Submissions made by other interested parties.

- 33. The other interested parties have made the following submissions concerning normal value, export price and dumping margin:
 - i. The Authority must grant status of market economy to the China as 15 years of China accession to the WTO is expired in 2016 as per para 15(d). Thus, the normal value should be calculated based on the actual prices and cost of the Chinese producers.

F.2 Submissions made by the domestic industry.

- 34. The domestic industry has made the following submissions concerning normal value, export price and dumping margin:
 - i. The Chinese producers must demonstrate that they operate under market economy conditions in order to be treated as a non-market economy. Since none of the Chinese producers and exporters requested for market economy treatment. Thus, the Authority must determine normal value as per Para 7 of Annexure I of the Rules.
 - ii. China is to be treated as a non-market economy under Article 15 of its WTO Accession Protocol. It is the consistent practice of the Authority, to determine Normal value as per Para 7 of Annexure I of the anti-dumping Rules.
 - iii. Historical import data and aggressive pricing trends show that this pattern of dumping is persistent and causing injury to the domestic industry, warranting imposition of anti-dumping duties.

F. 3 Examination by the Authority.

- 35. The response to exporters questionnaire has been filed by the following producers/exporters:
 - i. Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Company Limited, Sinochem Environmental Protection Chemicals (TAICANG) Company Limited and The Chemours Chemical (Shanghai) Company Limited
 - ii. Shandong Dongyue Refrigerants Company Limited
 - iii. Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd
 - iv. Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd. and Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd.
 - v. Ruyuan Dongyangguang Fluorine Co. Ltd, Hongkong Eagle Machinery & Technology Co. Ltd, and Sinote Chemicals Co. Ltd.

F.3.1 Normal value for China PR

36. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- (a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:
- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;
- (ii) The importing WO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
- (b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

- (c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.
- (d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."
- 37. The domestic industry has relied upon Article 15(a)(i) of China's the Accession Protocol as well as para 7 of the Annexure I. The domestic industry has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
- 38. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Rules.
- 39. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:
 - "7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account

shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

- 40. The Authority notes that none of the interested parties have provided any information with regard to domestic price, constructed value or export price of the product in an appropriate market economy third country. The Authority notes that it is required to select an appropriate country on the basis of information and evidence brought on record by the interested parties. Since neither the domestic industry nor the interested parties have provided any verifiable information, the normal value could not be determined on this basis.
- 41. The Authority has determined normal value for China PR based on price actually paid or payable in India for the like article. The normal value has been determined considering the cost of production in India after addition for the selling, general & administrative expenses, and the reasonable profits. In view of PCNs considered, the Authority has determined PCN wise normal value.

F.3.2 Export price for China PR

i. Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Company Limited.

- 42. Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Company Limited is a producer of the product under consideration and has filed a questionnaire response. The producer has reported *** MT of value *** USD as exports of the product under consideration to India during the period of investigation.
- 43. The producer/exporter has claimed various adjustments to the export price. The Authority conducted a desk verification of the information provided by the producer. Additional/supplementary information was sought to the extent deemed necessary. The net export price so determined is shown in the table below

ii. The Sinochem Environmental Protection Chemicals (TAICANG) Co. Ltd.

- 44. Sinochem Environmental Protection Chemicals (TAICANG) Co. Ltd is a producer of the product under consideration and has filed a questionnaire response. The producer has reported ***MT of value *** USD as exports of the product under consideration to India during the period of investigation.
- 45. The producer/exporter has claimed various adjustments to the export price. The Authority conducted a desk verification of the information provided by the producer. Additional/supplementary information was sought to the extent deemed necessary. The net export price so determined is shown in the table below

[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 67

iii. Shandong Dongyue Refrigerants Company Limited

- 46. Shandong Dongyue Refrigerants Company Limited is a producer of the product under consideration and has filed a questionnaire response. The producer has reported *** MT of value *** USD as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has exported the product to India directly.
- 47. The producer has claimed various adjustments to the export price. The Authority conducted a desk verification of the information provided by the producer. Additional/supplementary information was sought to the extent deemed necessary. The net export price so determined is shown in the table below

iv. Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd.

- 48. Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd. is a producer of the product under consideration and has filed a questionnaire response. The producer has reported ***MT of value ***USD as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has exported the product directly as well as through and Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd.
- 49. The producer/exporter has claimed various adjustments to the export price. The Authority conducted a desk verification of the information provided by the producer. Additional/supplementary information was sought to the extent deemed necessary. The net export price so determined is shown in the table below 1.

v. Ruyuan Dongyangguang Fluorine Co. Ltd

- 50. Ruyuan Dongyangguang Fluorine Co. Ltd is a producer of the product under consideration and has filed a questionnaire response. The producer has reported ***MT of value ***USD as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has exported the product through Hongkong Eagle Machinery & Technology Co. Ltd, and Sinote Chemicals Co. Ltd.
- 51. The producer/exporter has claimed various adjustments to the export price. The Authority conducted a desk verification of the information provided by the producer. Additional/supplementary information was sought to the extent deemed necessary. The net export price so determined is shown in the table below.

vi. Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd

- 52. Zibo Feiyuan Chemical Co. Ltd is a producer of the product under consideration and has filed a questionnaire response. The producer has reported ***MT of value ***USD as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has exported the product to India directly.
- 53. The producer has claimed various adjustments to the export price. The Authority conducted a desk verification of the information provided by the producer. Additional/supplementary

information was sought to the extent deemed necessary. The net export price so determined is shown in the table below

vii. Export prices for all non-cooperative producers/exporters from China PR

54. The export price for other non-cooperative producers/exporters from China has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

F.3.3 Dumping margin for China PR.

55. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows:

SN	Name of Producer	Normal	Export	Dumping	Dumping	Dumping
		Value	Price	Margin	Margin	Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
1	Shaanxi Sinochem Lantian	***	***	***	***	
	New Chemical Material					30-40
	Company Limited					
2	The Sinochem	***	***	***	***	
	Environmental Protection					30-40
	Chemicals (TAICANG) Co.					30-40
	Ltd.					
3	Shandong Dongyue	***	***	***	***	
	Refrigerants Company					20-30%
	Limited					
4	Zhejiang Sanmei Chemical	***	***	***	***	
	Ind. Co. Ltd. and Jiangsu					20-30
	Sanmei Chemical Ind. Co.					20-30
	Ltd					
5	Ruyuan Dongyangguang	***	***	***	***	30-40
	Fluorine Co. Ltd					30-40
6	Zibo Feiyuan Chemical Co.,	***	***	***	***	20-30
	Ltd					20-30
7	Any other producers	***	***	***	***	55-65%

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions made by the other interested parties

- 56. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:
 - i. Despite increase in imports, the domestic selling prices have increased by 15%. There is no price suppression or depression as the domestic selling price has increased.
 - ii. Export sales declined by 11%, suggesting any financial pressure was due to reduced export opportunities rather than import competition.

- iii. The losses to the domestic industry are mainly due to wages increase by 47%, interest costs increase by 98% and depreciation increase by 20% despite no increase in capacity.
- iv. Working capital and interest costs increased along with capital employed substantially, showing internal or inconsistencies in data reporting.
- v. The consistent adoption of 22% return on capital employed by the Authority for the calculation of non-injurious price is inflated and not aligned with present economic conditions or the legal framework under the Rules. In Bridgestone Tyres and Hyosung Corporation have held that such a return distorts injury analysis.
- vi. Considering the financial year 2020-21 to 2022-23 in the injury period is flawed as this period saw an abnormal surge in imports due to the Kigali Amendment.
- vii. The Kigali Amendment to the Montreal Protocol mandates phasedown of HFCs. China had baseline years of 2020–2022, during which it increased production to secure higher future quotas. This led to excess exports, including to India, not due to dumping but to meet environmental obligations.
- viii. There exists an inverse relationship between the price of the product and its main raw material, Fluorspar, which accounts for 70% of production costs. Despite decline in the fluorspar prices, price of R134A have increased, primarily due to supply restrictions imposed by the Kigali Amendment.
- ix. The decline in production of the domestic industry was primarily due to decline in demand, not due to dumped imports.
- x. Given that China has now secured its HFC production quota, its production and exports are expected to decline going forward, prioritizing domestic demand due to limited permissible global supply.
- xi. Product under consideration is used in both OEM and after-sales segments, where the domestic industry already holds 100% and 40-50% market share, respectively.
- xii. The domestic industry admitted that it faced multiple shutdowns during FY 2020-21, including a complete three-month shutdown due to COVID-19 lockdowns, as well as other planned and unplanned stoppages caused by low demand and inventory buildup.
- xiii. The pandemic itself and its associated economic disruptions led to low productivity and global market instability, contributing significantly to any injury suffered during the injury period.
- xiv. The injury was also the result of the domestic industry's own strategic decisions, including investments in new production facilities and limitations in product range and quality.
- xv. Post-POI is relevant in the present investigation as the import volume has declined and import price has increased. There is no effect of import price from China on domestic industry as the priced rose from \$3.46/Kg during the POI to \$5.47/Kg by May 2025.
- xvi. The import price from China in post-POI was significantly higher than the import price from other countries such as Japan, US and UK.
- xvii. The injury claimed cannot be solely linked to imports, as several internal factors have impacted on the performance of the domestic industry, such as Outdated technology, Dependence on inferior raw materials, Low productivity despite rising wages, Geographical inefficiencies, Poor financial management, Declining export performance.

- xviii. Despite the imposition of anti-dumping duties in past, the domestic industry has not shown notable improvement in competitiveness.
- xix. Claims of long history of dumping, market capture by Chinese exporters, and excess capacities in China should be rejected. The analysis of the present investigation must be based solely on period of investigation data, not past data.
- xx. The issue of Kigali Amendment is irrelevant. The baseline period for China covers three years i.e. 2020, 2021, and 2022. The increase in imports during 2022-23 is due to higher demand, not to any surge in Chinese production.
- xxi. Mere surplus capacity does not establish threat of injury. The Indian Spinners Association v. DA confirms that surplus capacity alone is insufficient to justify duties. India's own demand is increasing, and domestic capacity is limited, thus imports will remain necessary.
- xxii. The Chinese producers increased production in baseline years to secure higher quotas, which caused temporary increase in exports. Imports from China are expected to decline as China prioritizes its domestic needs first.
- xxiii. The USA and EU are phasing out the product due to environmental concerns, while India as a developing country needs to import the product in view of growing demand and cannot switch to substitutes.
- xxiv. Imports in relation to production and demand only increased in 2022-23 but declined in the previous year and in the period of investigation. Hence, reliance on one abnormal year is misplaced.
- xxv. The decline in production and capacity utilisation in the period of investigation was due to low demand and decline in the export sales. The domestic sales of the domestic industry have increased.
- xxvi. While the market share of subject imports has declined, the market share of domestic industry has increased in the period of investigation.
- xxvii. The inventories with the domestic industry increased marginally. The increase was due to decline in the export sales. The inventories with the domestic industry have declined in the period of investigation as compared to the base year.
- xxviii. Domestic industry enjoyed high export profits, yet its export sales fell in period of investigation.
- xxix. The loss suffered by the domestic industry is due to decrease in demand and export sales. Such decline has led to a decrease in the capacity utilisation which in turn negatively affected the production and increased the fixed costs.
- xxx. The domestic industry is trying to indulge in excess production and do the same as China as India's baseline years are 2024-26.
- xxxi. The domestic industry has relied on outdated data while claiming excess capacity in China and includes capacity information of various products.
- xxxii. The production capacity for R134a specifically remained unchanged and has no aggressive expansion. Installed capacity alone cannot be equated to exports or dumping.
- xxxiii. Each anti-dumping investigation is different jurisdiction and is based on the unique market conditions, legal standards, and injury parameters of the specific country.

- xxxiv. The measures imposed by the other countries relates to different time periods. and, in some cases, different products, such as mixtures rather than pure R134a, making them incomparable.
- xxxv. The additional 25% duty imposed by the United States is a trade policy action under Section 301 and is unrelated to anti-dumping or injury findings.

G.2 Submissions made by the domestic industry

- 57. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:
 - i. Despite past measures, Chinese producers have intensified dumping. Over the time, the dumping margins of the Chinese producers increased from 35-55% to 125-135% in 2021.
 - ii. The Kigali Amendment to the Montreal Protocol mandates a phasedown of HFCs with different timelines for developed and developing countries. China, categorized under Group 1, has a baseline period of 2020–2022 and must begin reductions in 2029, while India (Group 2) has a later baseline of 2024–2026, with cuts starting in 2032.
 - iii. In 2022, the final year of China's baseline, the imports from China PR sharply increased as the production of R-134a increased to secure higher permissible future production. This led to a dramatic increase in Indian imports from 1,294 MT in 2021-22 to 8,000 MT in 2022-23, posing a serious threat to India's domestic industry.
 - iv. The Chinese producers have claimed that due to Kigali Amendment the imports surge in the injury period. The Chinese producers in order to take high baseline for future HFC quotas increased their production and now exporting their product at low prices.
 - v. Chinese producers possess substantial surplus capacity for R-134a. Currently the producers in China have the capacity of 335,000 MT, approximately 17 times higher than the demand in India.
 - vi. The USITC and the DGTR have consistently acknowledged the surplus capacity with the Chinese producers. If the duties are not imposed, the Chinese producers will divert more imports to Indian market.
 - vii. Sinochem Environmental Protection Chemicals (TAICANG) Co. Ltd. and Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Co. Ltd. have acknowledged that the sharp increase in imports from China during 2022–23 was driven by China's acceptance of the Kigali Amendment.
 - viii. The imports in 2022-23 was abnormal and therefore, import volumes may be compared with those recorded in 2020-21 and 2021-22.
 - ix. The global demand for R-134a has declined due to stringent regulatory measures in key markets like the EU and the US, which have phased down or banned the use of HFCs due to their high global warming potential. As a result, Chinese producers are left with surplus capacity amidst falling demand.
 - x. Given China's earlier Kigali phasedown timeline (reductions starting in 2029) and its high production levels, this excess is being redirected to markets like India. Without anti-dumping duties, India risks becoming a dumping ground for this surplus, severely harming its domestic industry.
 - xi. Chinese producers have faced anti-dumping duties in other countries as well. The U.S. imposed duties in 2017 and extended the duty in 2022. Argentina also levied a 7%

- duty in 2020 on HFC mixtures from China. The measures by other countries clearly shows Chinese producers dumping pattern.
- xii. The imports from China PR in 2020-21 and 2021-22 was 1862 MT and 1294 MT increased in 2022-23 dramatically to 7909 MT.
- xiii. The imports value from China PR has increased nearly by 200% in the period of investigation as compared to base year. The value of imports has increased from Rs. 47 crores to Rs. 140 crores.
- xiv. The imports from subject country have increased in relation to production and consumption.
- xv. Given the product's long shelf life, the excess imports during 2022–23 were not fully absorbed by the market in that period but continued to be consumed in subsequent periods.
- xvi. The landed price of imports from the subject country was significantly lower than the applicant's selling price. Thus, the price undercutting is positive. The import price is below the selling price on PCN basis as well.
- xvii. In 2021-22, both the cost of sales and selling price increased, with the selling price increased more significantly than cost, resulting in improved profitability.
- xviii. In 2022-23, while the cost of sales rose by approximately Rs *** per MT, the selling price increased by only Rs *** per MT, leading to a sharp decline in the applicant's profitability. This was the period of abnormal surge in imports.
- xix. During the period of investigation, the cost of sales declined by Rs *** per MT, but the selling price fell even further by Rs *** per MT. Therefore, the imports have depressing effect on applicant prices.
- xx. The installed capacity remained constant and sufficient to meet entire country's demand. However, due to low-priced imports, the applicant operated with ***% unutilized capacity.
- xxi. The production of the applicant increased in 2021-22 and further increased in 2022-23. However, it declined in the period of investigation. Due to low priced imports, the applicant was prevented from fully utilizing its capacity.
- xxii. Despite a 10% rise in domestic sales volume, the applicant's sales revenue declined, which shows that the applicant had to compromise on profitability to maintain its customer base.
- xxiii. The market share of China declines in 2021-22 and increased in 2022-23, However declined during the period of investigation. The market share of other countries has declined from 32% in 2021-22 to 2% in the period of investigation.
- xxiv. The market share of the applicant has increased in the period of investigation. Despite having the capacity to cater to entire demand, the applicant is only able to capture ***%.
- xxv. The profits of the applicant increased in 2021–22 but declined drastically in 2022–23 with the surge of imports and worsened further during the period of investigation. The applicant was forced to sell below cost, eventually the profits turned into losses.
- xxvi. The cash profit declined by almost 55% in the period of investigation compared to base year as well as the previous year. PBIT also declined steeply by 65% in the same period. The applicant recorded lowest PBIT and cash profit in the period of investigation.

- xxvii. The applicant faces losses in the domestic market but earns substantial profits from exports to countries like the USA, UAE, and Taiwan, indicating that the domestic injury is not due to global pricing.
- xxviii. The applicant recorded negative growth in volume and price parameters.
- xxix. The applicant earned higher profits in exports while incurring losses in the domestic market, with export performance reflecting global competitiveness. Hence, exports are not the cause of the injury.
- xxx. An increase in net fixed assets does not necessarily imply an increase in production capacity, since a significant portion of fixed asset additions may relate to other essential components like boilers and chillers, which do not enhance capacity.
- xxxi. Capital employed consists of net fixed assets and working capital, and in the present case, the applicant's net fixed assets have actually declined over the period, while sales levels have varied. Working capital requirements are influenced by factors such as payment and receivable policies, inventory, raw material procurement, and short-term financing, and are not directly linked to the capacity of any product.
- xxxii. The applicant remained profitable until 2022-23, recording losses only during the period of investigation due to decline in the prices of dumped imports from China PR. If internal factors were the cause, losses would have occurred consistently throughout the injury period, which is not the case.
- xxxiii. The rules require the Authority to segregate the impact of other factors only if interested parties identify them, provide evidence, establish their effect on performance, and quantify the impact. No such evidence has been submitted.
- xxxiv. The plant shutdowns are routine and did not affect operations, as production increased in the period of investigation compared to 2020-21 and 2021-22.
- xxxv. The economic impact of the pandemic was limited to 2020-21. The applicant's performance improved in 2021-22 with reasonable profits but deteriorated sharply in 2022-23 due to the surge in dumped imports, resulting in losses during the POI. Hence, the injury cannot be attributed to COVID-19.
- xxxvi. The applicant's products meet international standards and are exported to markets such as the USA, UAE, and Taiwan.
- xxxvii. Post period of investigation holds no relevance to an original investigation, as the Authority has considered 12 months as the period of investigation, which is sufficient to distort any temporary phenomena. In the Metronidazole case, post-POI was examined only because the applicant sought a six-month POI.
- xxxviii. In the post-POI, the imports from China have marginally declined. Although the import price has increased, it remained significantly below the import price from other countries.

G.3 Examination by the Authority

58. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-11 thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles." In considering the effect of the dumped imports on

prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

- 59. The other interested parties have claimed that cost of sales of the domestic industry has not moved in line with the price of flourspar which costs 70% share in product cost. The Authority has examined the data of the domestic industry. It seen that cost on account of flourspar is significantly lower than the claimed share. The cost of other raw materials have also fluctuate and merely relying on the flourspar cost will be inappropriate.
- 60. The Authority has taken note of the various submissions made by the interested parties, including the applicant, and has analyzed them considering the facts available on record and the applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
- 61. The product under consideration is governed by the Kigali Amendment to the Montreal Protocol. The baseline period for China is 2020-2022, while for India it is 2024-2026. The domestic industry had contended that the import volume was higher in 2022-23 because it was the last year of China's baseline period. The producers in China increased their production significantly to secure a higher future production quota, which led to a sharp increase in imports from China to India in 2022-23. The product has a high shelf life and therefore imported products are still in the domestic market as stock. The interested parties have not disputed the contention. The interested parties too have admitted the increase in imports from China in 2022-23 was due to the Chinese government's acceptance of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol. The domestic industry has requested the exclusion of 2022-23 from the purpose of ascertainment of volume and value of imports. The purpose of determination of a period of investigation and the complete injury period for injury assessment is to consider the performance of the domestic industry for the entire period of four years. Therefore, the Authority has compared the performance of the domestic industry over the injury period and the performance in the intervening period has been given due weightage.
- 62. It has been claimed that consideration of return of 22% for determination of non-injurious price is not appropriate. The Authority notes that relevant guidelines in this regard are well laid down under Annexure III of the Anti-Dumping Rules. The Authority has consistently allowed 22% return on capital employed and the same has been adopted in the present investigation as well.
- 63. It has been claimed that the domestic industry's data shows an increase in interest and depreciation expenses without any corresponding expansion of installed production capacity.

The domestic industry has claimed that when the data for the product under consideration as a whole is considered, these costs have declined. The increase in depreciation and interest domestic costs is attributable to the increase in volumes of domestic sales and decline in export sales. The Authority acknowledges such changes in these financial figures may result from various legitimate operational changes or accounting methodologies. The Authority notes that it is not necessary that every increase in the net fixed assets and depreciation may lead to increase in capacity. A producer may incur certain capital expenditures in the plant which may not result in any change in the capacity of the plant but will result in increase in these costs. The Authority has examined the depreciation and interest cost and it is seen that these are in line with the books of records maintained by the Authority.

- 64. It has been claimed that multiple shutdowns were undertaken by the domestic industry. The Authority notes that temporary interruptions in business operations, including plant shutdowns, are natural in the course of industrial activity and occur on account of factors such as maintenance, repairs, and market conditions. The Authority also notes that while there were some shutdowns, the production of the domestic industry in the period of investigation has increased as compared to the base year and 2021-22. The Authority, therefore, finds no merit in the contention of the other interested parties.
- 65. It has been claimed that the injury to the domestic industry is due to the pandemic and its associated economic disruptions. The Authority notes that parties have advanced mere statements and have not produced any verifiable documentary evidence to substantiate their claims. The Covid pandemic was a phenomenon which took place in 2020-21. The domestic industry's performance in 2021-22 improved, thereby establishing that the domestic industry recovered from the impact of Covid 19.
- 66. It has been claimed that the export sales of the domestic industry have declined, and the injury is due to global market instability. The Authority has considered the data of the domestic industry for domestic operations only. The Authority has also examined the prices of the domestic industry for export market, and it is seen that the export prices are significantly higher than the domestic prices. The injury analysis is restricted to domestic operations only. The Authority also draws reference to the WTO Panel Report in China X-Ray Equipment, wherein the Panel held that where an interested party identifies a factor other than dumped imports causing injury but does not provide evidence showing how this factor is causing injury to the domestic industry, the investigating authority is not required to make a determination with regard to that factor.
- 67. The other interested parties have contended that the post period of investigation is relevant to the present investigation, citing a decline in import volume and an increase in import price. The Authority notes that the post period of investigation holds no relevance to this investigation. The Authority has already fixed the period of investigation to 12 months, a duration specifically prescribed to capture any temporary phenomena that might otherwise distort trade data, thereby providing a reliable basis for assessment. The 12-month period of investigation is sufficient to thoroughly assess both dumping and the resulting injury to the domestic industry.

H.3.1 Assessment of demand/apparent consumption

68. The Authority has determined demand/apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry and imports from all sources.

SN	Particulars	UOM	2020- 21	2021- 22	2022-23	POI
1	Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	145	160
2	Subject Countries	MT	1,549	1,118	7,502	4,764
3	Imports from Other Countries	MT	1,856	1,918	2,142	594
4	Demand excluding captive	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	93	200	159
5	Captive sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	111	175	161
6	Demand including captive	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	95	198	159

- 69. It can be seen that the demand for the product declined marginally in 2021-22 but increased sharply in 2022-23 declined again in the period of investigation. However, the demand declined again in the period of investigation. Over the investigation period, the demand for the product has increased by 59%.
- 70. It has been stated that the increase in demand was not owing to increase in consumption for the product but because of increase abnormal increase in imports from the subject country. The product has a long shelf life and has not been consumed.

H.3.2 Volume and price effect of dumped imports on the domestic industry

a. Import volume from subject country.

71. With regards to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data. The information is as below:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
A	Import volume					
1	Imports from China PR	MT	1,549	1,118	7,502	4,764
2	Imports from other countries	MT	1,856	1,918	2,142	594
3	Indian Production	MT	***	***	***	***
4	Indian Consumption	MT	***	***	***	***
В	Subject imports in relation					
B	to					
1	Indian production	%	***	***	***	***

	Trend	Indexed	100	62	307	226
2	Indian demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	78	242	194
3	Total imports	%	45%	37%	78%	89%
	Trend	Indexed	100	81	171	195

72. It is seen that:

- a. The volume of subject imports declined in 2021-22, increased sharply in 2022-23 and declined in the period of investigation. The volume of imports has increased over the injury period. The volume of imports has doubled over the injury period.
- b. The domestic industry and the other interested parties have acknowledged that the increase in imports from the subject country in 2022-23 was attributable to the Chinese Government acceptance of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol.
- c. On value terms, imports has increased from Rs 47 cr. in the base year to Rs 140 cr. in the period of investigation. The value of imports has increased by 3 times over the injury period.
- d. The imports in relation to production have increased from ***% in the base year to ***% in the period of investigation.
- e. The imports in relation to consumption have increased from ***% in the base year to ***% in the period of investigation.
- f. While the imports from the subject country have increased in the period of investigation, the imports from other countries have sharply declined. The imports from subject countries hold major share in the total imports in India in the period of investigation.
- g. The imports from the subject countries have increased in absolute terms as well as in relation to Indian production and consumption.

H.3.3 Price effects of dumped imports

73. With regard to the effect of the dumped imports on the prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices or prevent the price increase, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country with reference to the price undercutting and price suppression/ depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and the selling price of the domestic industry have been compared with the landed price of the imports of the subject goods from the subject country.

a. Price undercutting

74. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realization of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. The Authority has notified the packed form and unpacked form as two PCNs. Since the PCNs have been adopted, PCN wise along with weighted average price undercutting has been determined.

75. The table below shows the PCN wise price undercutting over the period of investigation.

SN	Particulars	UOM	Packed	Unpacked	Weighted Average
1	Import volume	MT	49	4,716	4,764
2	Landed price	Rs/MT	4,12,319	3,07,838	3,08,909
3	Net sales realisation	Rs/MT	***	***	***
4	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***
5	Price undercutting	%	***	***	***
6	Price undercutting	Range	10-20%	20-30%	20-30%

76. It is seen that the PCN wise landed price of subject imports in the period of investigation is significantly below the selling price of domestic industry resulting in significant positive price undercutting.

b. Price suppression/depression

77. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress such prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period are examined as below:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	107	125	119
2	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	119	126	110

78. It is seen that:

- a. The cost of sales and the selling price of the domestic industry have increased in 2021-22. The increase in the selling price was higher than the cost of sales. Consequently, the domestic industry was able to earn reasonable profit in 2021-22.
- b. The cost of sales and selling price further increased in 2022-23. While the cost of sales increased by 18 index points, the selling price has only increased by 7 index points. As a result, the domestic industry profits sharply declined by more than 122%. This period also saw significant increase in the volume of imports from subject country.
- c. In the period of investigation, both cost of sales and the selling price of the domestic industry declined. The selling price has declined at more rate as compared to the decline in the cost of sales.
- d. The domestic industry was unable to align their selling price with the changes in the cost of sales.
- 79. The table below shows the PCN wise landed price and cost of sales and selling price of the domestic industry for the period of investigation.

SN	Particulars	UOM	Packed	Unpacked	Weighted Average
1	PCN wise landed price	Rs/MT	4,12,319	3,07,838	3,08,909
2	PCN wise gross selling price	Rs/MT	***	***	***
3	PCN wise cost of sales	Rs/MT	***	***	***

80. It is seen that the landed price of imports is below the cost and selling price of the domestic industry in the period of investigation. Therefore, the Authority notes that the dumped imports have prevented the domestic industry from charging its prices in line with the changes in the cost of production and therefore, the dumped imports have depressed the prices of the domestic industry.

H.3.4 Economic parameters of the domestic industry

81. Annexure II to the Anti-Dumping Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all the relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in the sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of the dumping; actual and potential negative effects on the cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise the capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively considering various facts and arguments made by the interested parties in their submissions:

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales.

82. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	100	100	100
2	Total production	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	117	158	136
3	Production of PUC	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	120	152	136
4	Domestic sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	96	145	160
5	Capacity utilization	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	117	158	136

83. It is seen that:

- a. The capacity of the domestic industry has remained constant throughout the injury period. The capacity of the Indian industry is sufficient to cater the entire demand in the country.
- b. The production and capacity utilization have increased in 2021-22 and increased in 2022-23. However, production and capacity utilization have declined in the period of investigation.
- c. The domestic sales of the applicant have declined in 2021-22. The sales increased in the 2022-23 and further increased in the period of investigation.

b. Market share.

84. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry and the subject country as under.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	103	72	101
2	Subject country	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	78	242	194
3	Other countries	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	111	58	20

85. It is seen that: -

- i. The market share of subject imports declined in 2021-22, sharply increased in 2022-23 but declined in the period of investigation.
- ii. While the market share of subject country has declined in the period of investigation as compared to previous year, it has increased as compared to base year.
- iii. The market share of the domestic industry has increased in the period of investigation as compared to previous year as well as the base year.
- iv. Despite having the capacity to cater the entire demand, the domestic industry market share restricted to ***%.
- v. The market share of imports from other countries sharply declined from ***% in the base year to mere ***% in the period of investigation.

c. Inventories.

86. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***
2	Closing inventory	MT	***	***	***	***
3	Average inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	77	66	69

87. It is seen that the average inventory with the domestic industry declined in 2021-22 and further declined in 2022-23. However, the inventory increased in the period of investigation.

It has been stated that the opening inventory with the domestic industry was high in 2020-21 due to covid outbreak.

d. Profitability, cash profit and return on capital employed.

88. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profitability, profits, cash profits, PBIT, and return on investment.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Profit/(Loss) per unit	Rs/MT	(***)	***	(***)	(***)
	Trend	Index	-100	618	-88	-603
2	Profit/(Loss)	Rs. Lacs	(***)	***	(***)	(***)
	Trend	Index	-100	591	-127	-963
3	Cash profit	Rs/MT	***	***	***	(***)
	Trend	Index	100	265	87	-16
4	Cash profit	Rs. Lacs	***	***	***	(***)
	Trend	Index	100	254	126	-26
5	PBIT	Rs/MT	***	***	***	(***)
	Trend	Index	100	705	103	-318
6	PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	(***)
	Trend	Index	100	674	149	-509
7	ROCE	%	***	***	***	(***)
	Trend	Index	100	509	100	-303
8	Average capital	Rs. Lacs	***	***	***	***
0	employed					
	Trend	Index	100	132	159	168

89. It is seen that:

- a. The profitability of the domestic industry sharply declined over the injury period. The domestic industry was earning reasonable profits in 2021-22. As the imports from China PR surged with decline in the landed price in 2022-23, the domestic industry profits have sharply declined. With continued decline in the landed price, the profits of the domestic industry further declined and turned into losses in the period of investigation.
- b. Cash profits and profits before interest and tax have declined by 126% and 609% respectively over the injury period.
- c. The returns on capital employed has declined by 403% over the injury period.
- d. The return on investment sharply declined and recorded lowest return in the period of investigation.

e. Employment, wages and productivity

90. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	No. of employee	Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	131	132	158
2	Productivity per day	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	120	152	136
3	Productivity per	MT	***	***	***	***
3	employee	IVI I				
	Trend	Index	100	91	115	86
4	Salaries & wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	117	121	147

91. It is seen that:

- a. The level of employment and salary & wages of the domestic industry have improved over the injury period.
- b. Productivity per day and productivity per employee of the domestic industry has declined in the period of investigation.
- c. The domestic industry has submitted that these parameters are dependent on several other parameters and therefore do not reflect the injury suffered by the industry.

f. Growth

92. The growth of the domestic industry in terms of capacity, production, domestic sales volume, PBT, PBIT, cash profits and the return on capital employed is as per given table below:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23
1	Capacity	%	-	-	-
2	Production	%	17%	35%	-14%
3	Domestic sales volume	%	-4%	51%	10%
4	Inventory	%	-23%	-14%	4%
5	Profit per unit	%	-718%	-114%	585%
6	Cash profit per unit	%	165%	-67%	-119%
7	PBIT per unit	%	605%	-85%	-409%
8	ROCE	%	409%	-80%	-403%

93. The volume parameters of the domestic industry such as production has recorded a negative decline in the period of investigation. All the price parameters of the domestic industry have recorded significantly negative growth.

g. Magnitude of dumping

94. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumping into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant during the period of investigation.

h. Ability to raise capital investment

95. The Authority notes that since the domestic industry is suffering from financial losses and low return on capital employed. The return earned by the domestic industry is lower than the bank rate of finance. The working capital needs of the domestic industry have been seriously jeopardised by the dumping of the product. Therefore, the ability to raise capital investment or raise money for capital employed has been impacted.

i. Factors affecting domestic prices.

96. Examination of the PCN wise import price shows that the import price from the subject country is materially below the cost of sales and the selling price of the domestic industry. As the landed price of subject imports declined, the domestic industry has been unable to align its prices in line with the change in the cost of sales. The dumping of the product in the domestic market is the only factor which is impacting the domestic prices.

H.3.5 Conclusion on injury

- 97. On the basis of above, the following conclusions have been drawn:
 - a. The volume of imports has increased over the injury period.
 - b. The import price is below the selling price and the cost of sales of the domestic industry, resulting in positive price undercutting.
 - c. In the period of investigation, both cost of sales and the selling price of the domestic industry declined. The selling price has declined at more rate as compared to the decline in the cost of sales. The domestic industry was unable to align their selling price with the changes in the cost of sales. The imports are depressing the prices of the domestic industry.
 - d. The imports have depressed the prices of the domestic industry in the period of investigation as a result of which the domestic industry has suffered financial losses and a steep decline in profit, cash profit, profit before interest and return on capital employed.
 - e. The growth of the domestic industry has been significantly affected as all the price parameters have recorded a steep decline.
 - f. The ability to raise capital has been impacted

H. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

98. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the

productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries

99. Imports from the subject countries constitute 95% share in the total imports into India. The imports of the subject goods from other countries are either (a) at insignificant volumes, or (b) at higher prices and hence not causing injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand

100. It is seen that the demand for the product under consideration has increased over the injury period. It is also seen that the domestic sales has witnessed an increase. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to contraction in demand.

c. Changes in the patten of consumption

101. There has been no known material change in the pattern of consumption of the product under consideration which could have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices

102. No interested parties have produced any evidence relating to any known trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry. Therefore, the Authority concludes that trade restrictive practice has not caused injury to the domestic industry.

e. Development of technology

103. The Authority notes that the technology for the production of the subject goods has not undergone any change. Hence, development in technology has not caused injury to the domestic industry.

f. Export performance

104. The Authority has considered the injury data for the domestic operations separately for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause of injury to the domestic industry. It is, however, seen that performance in the export market is far better than in the domestic market.

g. Performance of other products

105. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, the performance of the other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of injury to the domestic industry.

I. CAUSAL LINK BETWEEN DUMPING AND INJURY.

- 106. Considering the performance of the domestic industry over the injury period, various information on record and analysis hereinabove, the Authority concludes as below:
 - a. The imports from subject country are at dumped prices.
 - b. The PCN wise landed price is below the selling price of the domestic industry.

- c. The positive price undercutting and price depression has adversely impacted the profits, cash profits and return on investment of the domestic industry.
- d. Due to low-priced imports, the domestic industry's profitability turned into losses in 2022-23 and further deteriorated in the period of investigation.
- e. The imports from subject country have increased in absolute term as well as in relation to production and consumption. With increase in imports, the market of subject country increased.
- f. With an increase in dumped imports, the production and capacity utilization of the domestic industry has declined.
- g. The market share of the dumped imports have also increased.

J. <u>MAGINTUDE OF INJURY MARGIN</u>

- 107. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in AD Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pretax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the AD Rules.
- 108. The landed price and non-injurious price determined as above have been compared for the R134A on a PCN basis. The weighted average of the injury margin determined for the producers/exporters is provided in the table below:

SN	Name of Producer	Non- Injurious Price	Landed price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
1	Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Company Limited	***	***	***	***	40-50
2	TheSinochemEnvironmental ProtectionChemicals(TAIC ANG) Co. Ltd.	***	***	***	***	40-50
3	ShandongDongyueRefrigera ntsCompany Limited	***	***	***	***	30-40.
4	Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd. and Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd	***	***	***	***	30-40

5	Ruyuan Dongyangguang Fluorine Co. Ltd	***	***	***	***	40-50
6	Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd	***	***	***	***	30-40
7	Any other producers	***	***	***	***	30-40

K. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES

J.1 Submissions made by other interested parties

- 109. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
 - a. The domestic industry claimed that duties on the product would minimally affect consumers and that downstream users' interests are secondary. Downstream users are a vital part of the market and often depend on imports due to unmet domestic demand.
 - b. China superior investment in technology and innovation results in higher-quality products, making its offerings more appealing than those from India.
 - c. The domestic industry, being the sole producer, is creating a monopoly and manipulating prices. It does not supply downstream users, imposing anti-dumping duties on imports would be unjustified and could severely harm dependent industries due to lack of both domestic and imported supply.
 - d. R-134a is a key input for critical sectors such as refrigeration, automotive, and pharmaceuticals, and duties would raise input costs, burdening downstream industries and consumers.
 - e. Domestic production capacity is insufficient to meet demand, and imports play a crucial role in maintaining supply stability.
 - f. The domestic industry cannot meet full demand and does not supply all downstream users, who rely on imports from China due to better quality and technology. There are only four producers of the product globally and anti-dumping duties will restrict the imports.
 - g. There is no substitute for the PUC in the market if anti-dumping duties are imposed. Only four countries such as USA, Japan, China, and India produce it. The USA and Japan meet only their domestic needs, while India cannot fully satisfy its own demand. As a result, downstream users must rely on imports from China.
 - h. The imposition of anti-dumping duty on imports of R-134a from China will not only harm downstream industries but also negatively impact end-use consumers.
 - i. Affordable access to raw materials like R-134a is vital for domestic manufacturers to stay competitive globally. Imposing duties raises costs, discourages innovation, and threatens long-term industry growth. This may shift demand toward lower-quality alternatives, potentially compromising the quality and properties of final products.
 - j. Higher production costs due to increased raw material prices will be passed on to the consumers, leading to increase in prices of the public at large.
 - k. The public interest clause in the anti-dumping rules mandates that the authority consider broader economic factors, including impact on consumers, downstream users, and overall economic welfare, before imposing duties.

L.2 Submissions made by the domestic industry.

- 110. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
 - i. The imposition of anti-dumping duties in past had allowed the domestic industry to increase its capacity. Between 2011-12 and 2013-14, the capacity with the applicant was just *** MT. With imposition of anti-dumping duties in 2011, the applicant was able to recover and grow from the effect of dumped imports and the applicant increased its capacity to *** MT.
 - ii. China, under the Kigali Amendment, has already received significant funding from the Multilateral funds to modernize its R-134a production facilities. With its baseline period concluded and phase-down starting in 2029, Chinese manufacturers have enjoyed inflated production and financial support.
 - iii. India will begin phase-down only in 2032 and has yet to receive such funding. This disparity enables Chinese producers to dump products in India at unfair prices, causing injury to the Indian industry, thereby justifying the need for anti-dumping duties.
 - iv. The imposition of anti-dumping duties on R-134a is expected to have a negligible impact on the price of end products like car air conditioners.
 - v. Aftermarket consumers, such as owners of second-hand vehicles, use R-134a infrequently, typically during servicing every 2–3 years. Even with a price increase due to anti-dumping duty, the impact on these users would be minimal and occasional.
 - vi. Traders in the after-market enjoy high margins and flexible pricing, allowing them to absorb or pass on small cost increases without significantly affecting demand or profitability. R-134a constitutes an extremely small portion of the total cost of downstream products like automobiles. Therefore, imposing anti-dumping duty on this product will have an insignificant impact on the overall production cost.
 - vii. Only traders have participated in the present investigation. No actual users of R-134a have participated or raised concerns about the proposed anti-dumping measures. This suggests that downstream industries are not adversely affected by the duties.
 - viii. There is no demand-supply gap in India, yet imports continue solely due to low prices.
 - ix. Producers from the subject country focus solely on maximizing revenue and lack long-term commitment to India's market or consumers. They may shift to other markets offering better prices. In contrast, the domestic applicant, being locally based, is more invested in serving Indian consumers' interests.
 - x. The product is used for vehicle air conditioning and mainly in the auto industry. As a pass-through sector, cost increases from duties are likely passed to consumers with minimal impact on demand. Price changes would be absorbed in the supply chain without significantly affecting final consumer costs.
 - xi. Low-priced imports from the subject country have led to financial losses and low ROCE for the applicant. Without anti-dumping duties, the applicant may have to shut down operations, affecting many jobs and families.
 - xii. The applicant has spent Rs 42 crores in social initiatives, benefiting over 4.6 lakh people through healthcare, education, environmental conservation, and cultural programs. These efforts are funded through its business operations, including R-134a. Continued losses from dumped imports threaten these welfare contributions, something foreign exporters are unlikely to replace.

- xiii. Anti-dumping duties benefit consumers by supporting a competitive domestic industry that ensures fair-priced supply and accessible after-sales service. Past duties helped close demand-supply gaps and encouraged capacity expansion.
- xiv. The aim of anti-dumping duties is to counter unfair pricing and restore fair competition in the Indian market, not to restrict imports. In the Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority emphasized that anti-dumping laws are essential for India's industrialization and economic strength.
- xv. R-134a, mainly used in AC gas for vehicles and homes. Imposition of anti-dumping duties would add less than 0.01% to car prices, with refills needed only once every two to three years, making the cost impact negligible.
- xvi. As per previous investigation China alone has six producers, while North America has about 102 KTPA capacity and the EU and Japan about 20 KTPA each. Anti-dumping duties do not restrict imports but only ensure fair pricing.

L.3 Examination by the Authority

- 111. The Authority considered whether imposition of the proposed anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of various parties, including domestic industry, importers, and consumers of the product.
- 112. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, producers/exporters, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti-dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the anti-dumping duty.
- 113. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market. Which is in the general interest of the country. Anti-dumping measures would not restrict imports from subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
- 114. The Authority further notes that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports. Imports will continue to happen at fair prices. Anti-dumping duty ensures that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry.
- 115. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties in this investigation. The domestic industry, DIRA, Vijay Petrochem Private Limited and Gupta Oxygen Private Limited have filed economic interest

questionnaire. Apart from the domestic industry, none of the interested parties have provided the quantification of proposed anti-dumping measures. The domestic industry has quantified the following impact of anti-dumping duty.

SN	R-134a in Car AC	UOM	UOM Lower		High Sogmont	
			Segment	Segment	Segment	
1	Average Car Price	Rs.	5,00,000	10,00,000	15,00,000	
2	R-134a used in car AC	Kg	0.5	0.5	0.5	
3	R-134a Price	Rs./Kg	305.55	305.55	305.55	
4	ADD (Approx)	USD/Kg	1	1	1	
5	Ex Rate	USD to	83.69	83.69	83.69	
		INR	63.09	63.09	83.09	
6	ADD	Rs/Kg	83.69	83.69	83.69	
7	R-134a Price (Including	Rs/Kg	389.24	389.24	389.24	
	ADD)		309.24	309.24	309.24	
8	Difference	Rs/Kg	83.69	83.69	83.69	
9	%age Impact	%	0.008%	0.004%	0.003%	

- 116. It is seen that the impact of proposed anti-dumping duty on downstream industries is insignificant. While the other interested parties have claimed that imposition of anti-dumping duty would unnecessarily increase the cost of production for the downstream industries. However, none of the interested parties have provided any evidence. Hence, mere statements cannot be accepted.
- 117. The importer associations, namely DRIA, has filed submissions, none of its members have filed a questionnaire response claiming adverse impact of anti-dumping duty. The associations have not provided any quantified and verifiable information to demonstrate the possible adverse impact of the proposed anti-dumping duty on the consumers and public at large. It is, thus, noted that the interested parties have not established any adverse impact of anti-dumping duty on the user industry with verifiable information.
- 118. The Authority also notes that anti-dumping duties were imposed in the past. There is no evidence to suggest that there was any adverse impact on the downstream industry as a result of the duties previously in force. In the event there was any adverse impact, there would have been strong opposition from the user industry in the present investigation.
- 119. As regards to the submission that the Chinese producers have supplier technology as a result, the product imported from China are of high quality as compared to the product produced by the domestic industry. The Authority notes that the interested parties have advanced mere statements and have not produced any verifiable documentary evidence to substantiate their claims. The Authority also notes that the domestic industry is exporting the product to various other countries. If the product was of lower quality, the product was not imported by the users from other countries. Therefore, the contention of the other interested parties cannot be accepted.

- 120. The information on record shows that prior to the original anti-dumping measures in 2011-12 to 2013-14, the capacity of the domestic industry was *** MT. With the imposition of duties in 2011, the industry recovered from injury and increased its capacity to *** MT in the following years, and further to *** by 2020–21. This shows that the industry was able to expand continuously due to imposition of anti-dumping measures. Accordingly, the Authority holds that the imposition of anti-dumping duties in the past has been effective in creating conditions for the domestic industry to increase capacity, invest, and grow. The Authority does not find merit in the contention of the other interested parties.
- 121. With regards to the contention that users rely on subject imports, as there is a supply demand gap in the country. The Authority notes that contrary to the claim, while the demand for the product is *** MT, the capacity with the domestic industry is *** MT. Therefore, the contention is factually incorrect and cannot be accepted.
- 122. The imposition of anti-dumping measures does not restrict imports from the subject country in any way. Further, apart from the domestic industry and imports from subject country, there are imports from other countries as well. The domestic industry has the capacity to meet the entire demand in India. Hence, even if the duties were to have an unintended consequence of reducing import volumes from the subject country, the downstream industry in India will not run out of supplies.
- 123. The Authority further notes that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports. Imports will continue to happen at fair prices. Anti-dumping duty ensures that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

L.1 Submissions made by other interested parties

- 124. The following comments on the disclosure statement have been filed by the other interested parties:
 - a. If the Authority considers it necessary to impose duties, a benchmark duty would be the most appropriate. Imposing benchmark form of duty protects the domestic industry while also protecting the rights of exporters, importers, and end-users.
 - b. No justification was provided by the domestic industry for pursuing anti-dumping measures despite safeguard investigation as it was more appropriate in light of the Kigali Amendment.
 - c. The domestic industry has not explained the profitability reported in its 2024-25 Annual Report, despite this being raised during the oral hearing.
 - d. The losses are primarily attributable to reduced exports, whereas the domestic business performed well. Hence, the claim of injury from subject imports is unsubstantiated.
 - e. The duty will heavily impact user industries such as automobile air conditioning, railways, malls, hospitals, airports, and other infrastructure projects, as the product

- majorly are consumed in central air-conditioning systems, directly increasing project costs.
- f. The import price from China PR increased sharply in 2024, from USD 3.5/kg to USD 4.5/kg, due to a demand–supply gap. Imposing duty will push prices even higher, severely harming the user industry and widening the gap, as domestic producers cannot adequately supply downstream users and imports would become unaffordable.
- g. The domestic industry cannot fully meet domestic demand, and imposing duty would harm the financial health of downstream users and create a monopolistic situation.
- h. The actual impact of the proposed measures will lead to increase in the prices by [20–35%], depending on the user segment.
- i. Imposing anti-dumping duties would be detrimental. R-134a is a critical raw material used across multiple sectors, and additional duties would increase costs for downstream industries.
- j. The Authority has not examined or addressed the excessive confidentiality claimed by the domestic industry. Without such scrutiny, there are no grounds to accept the NCV petition, making this case fit for termination due to excessive confidentiality.
- k. The import data relied upon by the domestic industry has not been examined in the disclosure statement. In the absence of such scrutiny, there are no grounds to accept this data, and the case warrants termination.
- 1. The average capital employed and wages paid have increased but the capacity has not increased of the domestic industry.

L.2 Submissions made by domestic industry

- 125. The following comments on the disclosure statement have been filed by the domestic industry
 - a. Chinese producers have significant surplus capacity, far exceeding both domestic demand in China and India.
 - b. The USITC (2022) noted that under the Kigali Amendment, China's HFC production remains unrestricted until at least 2024, indicating a large industry with considerable capacity.
 - c. The previous investigation also acknowledged that Chinese producers possess unutilized capacity many times higher than Indian demand, which could be diverted to India if anti-dumping duties cease. While earlier investigations showed capacity 8 times Indian demand, it has now risen to 17 times.
 - d. The factors established by the Authority clearly show that the dumped imports from subject country cause injury to the domestic industry.
 - e. India, categorized as a Group 2 country, has its baseline years in 2024–2026 and phase-down starting only in 2032. India is therefore not yet eligible for significant financial support, and the domestic industry continues to operate without such

assistance. This situation creates an imbalance as Chinese producers, already benefitting from funding.

- f. The imposition of anti-dumping duty on R134A from China PR will have negligible impact on consumers, as the product is used only occasionally for vehicle A/C servicing, typically once in 2–3 years. Even with a marginal price increase, the effect on end users and traders will be minimal.
- g. Traders operate with healthy margins and can absorb or pass on small cost changes without affecting demand. With sufficient domestic capacity and access to fairly traded imports, market supply will remain stable.
- h. It is requested to recommend anti-dumping duty for five years, as a shorter duration would not provide the domestic industry sufficient time to recover from injury.
- i. A fixed form of anti-dumping duty should be imposed as their significant fluctuation in costs and prices. A benchmark duty is also not justified, as there is no demand-supply gap in the country.

L.3 Examination by the Authority

- 126. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that most of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity
- 127. In relation to the mode of duties, the Authority notes that the levy of reference-price based duty provides a stable pricing framework, allowing both domestic producers and importers to operate with greater predictability. It ensures that the remedial measure is proportionate and does not unfairly restrict imports beyond what is necessary to counteract the dumping/injury. After careful examination the Authority notes that the reference-price based duty is the most appropriate form of duties in the factual matrix of the subject investigation.
- 128. On the comments that present investigation is appropriate for safeguard investigation, the facts established in the present investigations clearly show that the product under consideration have been exported to India at prices below normal value resulting in dumping and the same has caused material injury to the domestic industry. The Authority notes that safeguard measures are meant to address a situation of sudden, sharp and significant surge in fairly priced imports in recent period due to unforeseen developments. In the present case, the imports are unfairly priced, i.e., at dumped prices and not at fair price. Even when goods are produced in a number of countries, the present dumping is only from China. In fact, after

increasing in 2022-23, imports declined in the period of investigation. The injury suffered by domestic industry is material, and cannot be described as serious. The volume parameters of the domestic industry have shown improvement and deterioration in performance is only in price parameters. The Authority holds that the mere fact that imports have increased significantly in the recent period does not in itself implies that safeguard measures should be invoked.

- 129. The other interested parties contended that losses to the domestic industry is due to export performance. The Authority notes that the assessment of injury in an anti-dumping investigation is required to be carried out exclusively with reference to the performance of the domestic industry in the domestic market. The impact of dumped imports has been assessed on parameters relating to domestic operations and not exports. An examination of the data for the export market shows that the domestic industry has recorded substantial profits from exports, including sales to the USA, UAE, and Taiwan etc. The export business of the domestic industry has remained competitive and profitable. Contrary performance in the domestic market shows losses. Therefore, it cannot be considered that the performance in the domestic market has been impacted by the export operations.
- 130. With regards to imposing anti-dumping duties would be detrimental as R-134a is a critical raw material, the Authority notes that the purpose of anti-dumping measures is to address injury caused by unfairly priced dumped imports to the domestic industry and restore a level playing field. The imposition of anti-dumping duty will tend to correct market distortions caused by dumping, rather than create excessive cost burdens to downstream industries. The Authority also notes that none of the users participating in the present investigation has demonstrated their inability to pass on the increase in cost. It is seen that the impact of anti-dumping duty is less than 1% on the end consumer. While the impact of anti-dumping duty on the downstream industry is low, it will help in restoring fair competition in the domestic market.
- 131. On the submission that the average capital employed and wages paid have increased but the capacity has not increased, the Authority has examined the average capital employed and wages and it is seen that these are in line with the books of records maintained by the domestic industry. The Authority also notes that working capital requirements of an entity are not solely dependent on the scale of production of a particular product. An increase in net fixed assets does not necessarily imply an increase in production capacity, since a significant portion of fixed asset additions may relate to other essential components which do not enhance capacity.
- 132. Capital employed consists of net fixed assets and working capital. In the present case, while sales levels have varied, working capital requirements are influenced by a wide range of factors such as payment and receivable policies, inventory, raw material procurement, and short-term financing etc., and are not directly linked to the capacity of any product. Therefore, attributing changes in capital employed to capacity of a product is not appropriate.

M. CONCLUSION

- 133. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
 - a. The product under consideration in the present investigation is R-134a, which is also known as Tetrafluoroethane, Genetron 134a, Suva 134a, HFC-134a, HFA-134a and Norflurane.
 - b. The scope of product under consideration includes all types of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a, whether packed or unpacked. However, cGMP approved pharmaceutical grade is excluded from the scope of product under consideration.
 - c. The Authority notes that the primary distinction between the non-Pharma (i.e., Industrial grade) and non-cGMP Pharma grade is confined to the degree of purification.
 - d. Under the Kigali Amendment, Article 5 countries have been divided into two groups. China, falling under Group 1, is required to begin phasedown in 2029, based on the average production and consumption during the calendar years 2020, 2021, and 2022. In contrast, India, categorized under Group 2, has a deferred baseline period covering 2024, 2025, and 2026, with reduction obligations commencing in 2032.
 - e. In the final year of its baseline period (2022), China significantly ramped up production of R134a in order to inflate its baseline figures, allowing it to maintain a higher level of permitted production during the phase-down years. During 2022–2023, India witnessed a sharp and unprecedented increase in imports from China. This surge was done with the aim to maximize output in the final year of its baseline period, thereby increasing China's future permissible levels of production under the Kigali framework.
 - f. China has effectively secured a higher level of permissible production during the phasedown years starting in 2029. If duties are not imposed, this inflated production will likely be diverted to the Indian market. Imports from the subject country are already priced below the cost of sales and the selling price of the domestic industry, resulting in positive price undercutting. By securing higher permissible future production levels, Chinese producers retain the ability to continue supplying at dumped prices, thereby diverting excess global capacity into India.
 - g. The application has been filed by SRF Limited. The applicant is the sole producer of the like article in India. The domestic industry accounts for 100% of the total Indian production.

- h. The Authority holds that the applicant constitutes domestic industry under rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
- i. The domestic industry has not suffered injury due to other factors. Material injury caused to the domestic industry is due to dumping of the product under consideration from the subject country.
- j. There is no demand supply gap in the country, the domestic industry has sufficient capacity to cater entire demand in the country.
- k. The imposition of anti-dumping measures does not restrict imports from the subject country in any way.
- l. Anti-dumping duty would ensure that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry. Imposition of anti-dumping duty would not be against the larger public interest

N. <u>RECOMMENDATION</u>

- 134. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the possible interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the anti-dumping rules, the Authority is of the view that imposition of duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.
- 135. Having regard to the lesser duty rules followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury so determined in these findings for the period under investigation, so as to remove the injurious effects of the dumped imports on the domestic industry. Taking into account factual matrix of the case, and having regard to information provided, and submissions made by interested parties, it is considered appropriate to recommend benchmark/reference form of anti-dumping duties. Accordingly, reference form of anti-dumping duty is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from the subject country, for a period of five years (5) from the date of issue of the notification by the Central Government. The anti-dumping duty is recommended as the difference between the landed value of the subject goods as described in Col.3 of the duty table below and the reference amount indicated in Col.7 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col.7. If the landed value is more than the value indicated in Col 7, the anti-dumping duty will not be applicable. The landed value of imports for this

purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3 A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty table

S	Heading	Description of the	Countr	Country	Producer	Amoun	UO	Currenc
N	/Subheadin	goods	y of	of export		t	M	у
	g		origin					•
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2903 45 00	1,1,1,2-	China	Any	Shaanxi	4439	MT	USD
		Tetrafluoroethan	PR	country,	Sinochem			
		e or R-134 a		includin	Lantian New			
				g China	Chemical			
				PR	Material			
					Company			
					Limited			
2	-do-	-do-	China	Any	The Sinochem	4423	MT	USD
			PR	country,	Environmental			
				includin	Protection			
				g China	Chemicals			
				PR	(TAICANG)			
			C1 :		Co. Ltd.	4.500) (T)	TIGE
3	-do-	-do-	China	Any	Shandong	4508	MT	USD
			PR	country,	Dongyue			
				includin	Refrigerants			
				g China PR	Company Limited			
4	-do-	-do-	China		Zhejiang	4581	MT	USD
-	-40-	-40-	PR	Any country,	Sanmei	4301	1V1 1	USD
			1 IX	includin	Chemical Ind.			
				g China	Co. Ltd. and			
				PR	Jiangsu Sanmei			
					Chemical Ind.			
					Co. Ltd			
5	-do-	-do-	China	Any	Ruyuan	4583	MT	USD
			PR	country,	Dongyangguan			
				includin	g Fluorine Co.			
				g China	Ltd			
				PR				
6	-do-	-do-	China	Any	Zibo Feiyuan	4558	MT	USD
			PR	country,	Chemical Co.,			
				includin	Ltd			
				g China				
				PR				
7	-do-	-do-	China	Any	Any producer	5251	MT	USD
			PR	country,	other than SN 1			
				includin	to 6			

				g China PR				
8	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any producer	5251	MT	USD

O. Further procedure

136. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority